0:

मई १९५३

मूल्य : चार आने

पहली
पंचवर्षीय योजना

प्रश्न और उत्तर

योजना कमीशन के लिए
पब्लिकेशन्स डिवीज़न
मिनिस्ट्री ऑफ़ इन्फॉर्मेशन एण्ड ब्रॉडकास्टिंग
ओल्ड सेक्रेटैरिएट, दिल्ली-८
द्वारा प्रकाशित

आम सवाल

प्रश्न—पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और आम लोगों को उनसे क्या लाभ होंगे ?

उत्तर—इस योजना के मुख्य उद्देश्य पैदावार में बढ़ती करना और मौजूदा संपत्ति को अधिक बराबर बाँटना है, जिससे समाज को ज़्यादा सुख-संपत्ति और सामाजिक इंसाफ़ हासिल हो सके। संविधान में सरकार के लिए आदेश है कि वह सबके लिए समान अवसर, सामाजिक इंसाफ़, काम करने के अधिकार, मुनासिब मजूरी पाने के अधिकार, और सामाजिक सुरक्षा के उपाय के आधार पर आर्थिक और सामाजिक ढांचा बनाने के लिए कार्य करे। इस योजना द्वारा इन आदर्शों को समाज के जीवन में ढाला जाएगा। अगर देश ज़्यादा दौलतमंद होगा, उसमें संपत्ति का अधिक उचित बँटवारा होगा, और लोगों को उन्नति, रोज़ी-रोज़गार आदि के अधिक समान अवसर प्राप्त होंगे तो आम लोगों की हालत भी बेहतर हो जाएगी।

प्रश्न—क्या योजना "पैदावार में बढ़ती" और ऊपर कहे गए "अधिक उचित बँटवारे" को बराबर ही महत्त्वपूर्ण मानती है ?

उत्तर—हां, क्योंकि अगर किसी प्रोग्राम का लक्ष्य केवल

पैदावार की बढ़ती होगी तो उसका ज़्यादातर यही नतीजा हो सकता है कि बढ़ी हुई संपत्ति चंद लोगों के ही हाथों में चली जाए और बड़ी तादाद में लोग आज की तरह ग़रीब ही बने रह जाएं। दूसरी ओर, मौजूदा संपत्ति का सिर्फ़ फिर से बँटवारा कर देने से समाज के कुछ वर्गों की हालत गिरेगी पर बाकी आबादी की समुचित उन्नति न हो पाएगी। इसीलिए, यह प्रोग्राम दोहरा होगा, जिससे एक ओर तो पैदावार में बढ़ती हो और दूसरी ओर असमानताओं में कमी हो। शुरूआत में पैदावार की बढ़ती पर ज़्यादा ज़ोर ज़रूर दिया जा सकता है, लेकिन साथ-साथ ऐसे उपाय करने भी ज़रूरी होंगे, जिनसे सामाजिक ढांचा इस ढंग से बदल जाए कि अधिक-से-अधिक आर्थिक समानता की लगातार प्राप्ति होती रहे।

प्रश्न—पैदावार की बढ़ती के लिए इस योजना में क्या तजवीज़ की गई है?

उत्तर—किसी देश की पैदावार का स्तर मुख्यतः उसकी जमा-पूंजी पर निर्भर करता है। जमा-पूंजी के अन्तर्गत ये सब चीज़ें आती हैं—हर किसान के पास पाई जानेवाली खेती लायक ज़मीन, अन्य मौजूदा कुदरती साधन, कारख़ाने, इंजन, मशीनें, सिंचाई की सहूलियतें, बिजली पैदा करनेवाले केन्द्र और संवाहन अर्थात् आने-जाने तथा सामान लाने-ले जाने के साधन। पूंजी के स्टाक में बढ़ती और उससे ज़्यादा-से-ज़्यादा लाभ उठा सकने का ज्ञान होने से चीज़ों का उत्पादन भी अधिक बढ़ेगा और सेवाओं की प्राप्ति भी अधिक होगी। इसीलिए यह तजवीज़ की गई है कि योजना के समय में ख़र्च का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी स्कीमों में लगाया जाए, जिनसे सही अर्थों में पूंजी के स्टाक में बढ़ती हो, जैसे, ज़मीन को सुधारने की स्कीमें, सिंचाई का विकास, बिजली

श्रौर संवाहन, छोटे श्रौर बड़े स्तर के निर्माणकारी तथा पूंजीगत वस्तुश्रों के उद्योगों श्रौर श्रन्य उद्योगों की स्थापना, जिससे उन कुदरती साधनों तथा जन-शक्ति का इस्तेमाल हो सके, जो अभी तक बेकार है।

प्रश्न—उन तब्दीलियों को लाने के लिए, जिनसे श्रधिक मात्रा में श्रार्थिक समानता प्राप्त हो सकेगी, इस योजना में कौन से उपाय सुझाए गए हैं ?

उत्तर—इस सिलसिले में योजना में दी गई मुख्य तजवीज़ें नीचे दी जाती हैं—

१. ज़मीन के श्रधिक उचित बँटवारे के लिए ज़मीन की मिलकियत श्रौर प्रबन्ध के विषय में बहुत श्रधिक फेर-बदल के सुझाव रखे गए हैं।

२. पैदावार श्रौर बँटवारे के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी संस्थाश्रो के विकास पर ज़ोर दिया गया है।

३. श्रायोजित श्रर्थ-व्यवस्था की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निजी तौर पर चलाए जानेवाले व्यापार श्रौर उद्योग के क्षेत्र में सरकारी देखरेख श्रौर कन्ट्रोल को धीरे-धीरे बढ़ाते जाने की तजवीज़ की गई है।

४. मृत्यु-करों श्रौर टैक्स लगाने के दूसरे उन्नतिशील उपायों की तजवीज़ की गई है, जिससे कुछ समय में बहुत हद तक श्रसमानताएं कम हो सकेंगी।

५. ज़रूरत की ऐसी चीज़ों पर कन्ट्रोल लगाने के उपायों की सिफ़ारिश की गई है, जिनकी कुछ भी कमी से ग़रीबों को कष्ट उठाना पड़ता है।

प्रश्न—क्या यह योजना केवल भौतिक सुख-संपत्ति प्राप्त कराना चाहती है ?

उत्तर—इस योजना का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि भौतिक सुख-संपत्ति की प्राप्ति हो। इसका लक्ष्य ऐसी हालतें पैदा करना भी है, जिनसे सामाजिक और सांस्कृतिक तरक्की हो सके तथा मनुष्य की गुणवत्ता का पूर्ण विकास हो। लेकिन ऊंचे दर्जे का सांस्कृतिक समाज, एक हद तक भौतिक सुख-संपत्ति के बिना टिक नहीं सकता। इसलिए योजना को अमल में लाते हुए शुरू-शुरू में आर्थिक तरक्की पर ज़ोर दिया गया है।

प्रश्न—क्या यह योजना सही अर्थों में राष्ट्रीय और लोकतंत्री है ?

उत्तर—किसी योजना के राष्ट्रीय और लोकतंत्री होने की शर्त यह है कि नीति के ध्येयों के विषय में समाज ज़्यादा-से-ज़्यादा सहमत हो। इस योजना में इस शर्त का पूरी तरह पालन किया गया है, क्योंकि इसके उद्देश्य उस संविधान में से लिए गए हैं, जो देश में समाज के सब हिस्सों को मंज़ूर है। इस योजना पर देश में बहुत खुल कर विचार हुआ है और योजना कमीशन ने सभी आलोचनाओं और सुझावों पर ग़ौर किया है। यह योजना समाज के किसी खास वर्ग के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि समूचे समाज के लिए बनाई गई है। इससे इसे सच्चे अर्थों में 'राष्ट्रीय' कहा जा सकता है। यह योजना एक ओर तो केन्द्रीय और राज्य सरकारों की तथा दूसरी ओर सरकारी और निजी क्षेत्रों की सहमति पर आधारित है। इस का मूल उद्देश्य देश में राजनीतिक और आर्थिक लोकराज को मज़बूत करना है।

प्रश्न—इस योजना के लक्ष्यों को "साधारण" ही बताया गया है। अगर यह सच है, तो अधिक बड़े प्रोग्राम क्यों नहीं बनाए गए ?

उत्तर—इसकी वजह यह है कि यह आशा नहीं की गई है कि अधिक बड़े प्रोग्रामों के लिए ज़रूरी साधन हासिल हो सकेंगे। यह योजना "साधारण" ही है, लेकिन इसको अमल में लाया जा सकता है। इसके अलावा आर्थिक और सम्पत्ति तथा जनशक्ति के मौजूदा साधनों को ध्यान में रखते हुए सावधानी के साथ लक्ष्य बनाए गए हैं।

प्रश्न—यह देखते हुए कि यह योजना अमली है, और इसमें ऐसे लक्ष्य रखे गए हैं, जिन्हें प्राप्त करना कठिन नहीं, इसे पूरा करने के लिए किन-किन बातों को बिल्कुल ज़रूरी माना गया है ?

उत्तर—(क) विश्वयुद्ध और भीतरी झगड़े न हों;
(ख) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच निकट सहयोग हो;
(ग) जनता का सहयोग प्राप्त हो; और
(घ) शासन ईमानदारी और योग्यता से चलाया जाए।

प्रश्न—क्या यह अन्तिम योजना है, या योजना बनाने का सिलसिला जारी रहेगा ?

उत्तर—यह सोचा गया है कि योजना बनाने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। यह योजना आगे के लिए तैयारी की योजना है और इसके बाद और भी योजनाएं बनाई जाएंगी।

प्रश्न—भारत में समूचे साल या साल के कुछ हिस्सों में बड़ी भारी तादाद में लोग अपनी मेहनत का उपयोग नहीं कर पाते। इस योजना में (१) देहाती और (२) शहरी बेरोज़गारी को कम करने की क्या तजवीज़ की गई है ?

उत्तर—देहाती बेरोज़गारी को कम करने के लिए इस योजना में इन उपायों को शामिल किया गया है—सिंचाई के बड़े और छोटे काम, बड़े पैमाने पर ज़मीन सुधारने की स्कीमें, बिजली पैदा करने के कारख़ाने, सड़क-निर्माण और ग्राम-उद्योगों तथा दस्तकारियों को फिर से शुरू करना। इस योजना के दौरान में घरेलू और छोटे पैमाने के उद्योगों और दस्तकारियों के लिए १५ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है और बड़े पैमाने के उद्योगों पर अतिरिक्त टैक्स की तजवीज़ की गई है। यह अन्दाज़ किया गया है कि इससे छोटे पैमाने के और घरेलू उद्योग मुकाबले में ठहरने के अधिक योग्य बनेंगे। उन्नत तरीकों और बेहतर संगठन के कारण इन उद्योगों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को काम मिलने की आशा की जाती है।

बड़े पैमाने के उद्योगों के विस्तार और नए उद्योगों की शुरूआत से शहरी बेरोज़गारी में कमी होगी। ऊपर कहे गए छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास से भी इस दिशा में सहायता मिलेगी।

प्रश्न—मध्यम श्रेणी की बेरोज़गारी की बाबत क्या किया जा रहा है ?

उत्तर—पहली पंचवर्षीय योजना में खेती की पैदावार बढ़ाने और आगे चल कर औद्योगिक विस्तार के लिए आधार तैयार करने पर ज़ोर दिया गया है। इसलिए पढ़े-लिखे बेरोज़गारों के लिए रोज़गार के अवसर सीमित ही रहेंगे। अर्थ-व्यवस्था के

विस्तार से, जिसकी तजवीज़ मौजूदा योजना में की गई है, सहायक सेवाओं में कुछ अतिरिक्त रोज़गार की गुंजाइश होगी, लेकिन यह तभी होगा जब उद्योगों का अधिक तेज़ी से विस्तार हो जाएगा। इससे शिक्षित वर्गों के लिए रोज़गार की दिशाओं में भारी बढ़ती हो जाएगी। किसी हद तक इस सवाल का सम्बन्ध शिक्षा के तरीकों में सुधार और कठोर परिश्रम के कामों के प्रति नौजवानों के दृष्टिकोण में तब्दीली से भी है।

धन का प्रबन्ध

प्रश्न—इस योजना पर २,०६६ करोड़ रुपया खर्च होगा। यह तो बड़ी भारी रकम है। इसे कैसे जुटाया जाएगा? विकास के मुख्य क्षेत्रों में यह किस ढंग से ख़र्च की जायगी?

उत्तर—मोटे तौर पर सरकारी क्षेत्र में २,०६६ करोड़ रुपये के खर्च को इस ढंग से पूरा करने की तजवीज़ की गई है :—

	करोड़ रुपये
(१) बिना विकास वाले खर्च को पूरा करने के बाद केन्द्रीय और राज्य सरकारों (रेलों सहित) की मौजूदा आमदनी की बचत से।	७३८
(२) देशी कर्ज़ों और छोटी बचतों आदि से, जिन्हें केन्द्रीय और राज्य सरकारें जारी करेंगी।	५२०
(३) पौंड-पावने के भुगतान के आधार पर घाटे के अर्थ-प्रबन्ध से	२९०
(४) अब तक प्राप्त हुई विदेशी सहायता से	१५६

(५) और अधिक विदेशी सहायता या दूसरे उपाय के रूप में भीतरी टैक्स लगाने और कर्ज़े लेने और अधिक घाटे के अर्थ-प्रबन्ध से — ३६५

कुल — २,०६९

विकास के मुख्य क्षेत्रों में इस रकम को जिस तरीके से बाँटा जाएगा, वह यह है :—

	करोड़ रुपये
(१) खेती और सामूहिक विकास	३६१
(२) सिंचाई	१६८
(३) बहु-उद्देशीय और बिजली की योजनाएं	२६६
(४) बिजली	१२७
(५) परिवहन और संचार	४९७
(६) उद्योग	१७३
(७) सामाजिक सेवाएं	३४०
(८) फिर से बसाना	८५
(९) विविध	५२
कुल	२,०६९

प्रश्न—यह घाटे का अर्थ-प्रवन्ध क्या चीज़ है ? अगर इसके माने और ज्यादा नोटों को छापना है, तो क्या इसके कारण मुद्रा-स्फीति नहीं होगी और क्या मुद्रा-स्फीति से देश को हानि नहीं होगी ?

उत्तर—सरकार को लोगों से जो प्राप्ति होती है, अगर उससे अधिक ख़र्च किया जाए, तो उस हालत में घाटे के अर्थ-प्रबन्ध से काम चलाया जाता है। सरकार इस तरह के घाटों को अपनी

जमा रोकड़-बाकी में से निकाल कर या रिज़र्व बैंक से कर्ज़ा ले कर पूरा कर सकती है। इसके लिए मुद्रा को (activising) गतिशील करने या (creating) 'निर्मित करने का तरीका अपनाया जाता है। मुद्रा के सभी तरह के निर्माण से मुद्रा-स्फीति नहीं होती। मिसाल के तौर पर, किसी बड़ी आर्थिक कार्रवाई के लिए ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है। उस हालत में महत्वपूर्ण बात तरीका नहीं बल्कि उस तरीके को अपनाने से मिलने वाला नतीजा है।

यह सच है कि चालू मुद्रा में बढ़ती के साथ-साथ अगर घरेलू पैदावार में बढ़ती नहीं होती, तो मुद्रा-स्फीति हो जाती है। फिर भी, अगर घरेलू पैदावार की मात्रा को विदेशों से आई वस्तुओं द्वारा बढ़ाया जा सके, और उसी के अनुपात में निर्यात न किया जाए, तो घाटे के अर्थ-प्रबन्ध का स्फीतिकारी प्रभाव बहुत हद तक मिटाया जा सकता है। इसलिए इस योजना की तजवीज़ यह है कि घाटे के अर्थ-प्रबन्ध को पौंड-पावने की उस रकम तक ही सीमित रखा जाए, जिसके योजना के समय में भारत को मिलने की आशा है, अर्थात् २६० करोड़ रुपये। यह पावना हमारे देश की पुरानी बचतें हैं, अर्थात् भारत उस सामग्री तथा उन सेवाओं के लिए इन रकमों का लेनदार है जिन्हें विश्व-युद्ध के समय ब्रिटेन को समर्पित किया गया था, लेकिन जिनका भुगतान उस समय नहीं हुआ था। उनके भुगतान का यह अर्थ है कि विदेशों से सामग्री और सेवाएं देश के अन्दर आवें और उसके मुकाबिले निर्यात न हो। इसलिए, अगर घाटे के अर्थ-प्रबन्ध को इन भुगतानों तक ही सीमित रखा जाए तो वस्तुओं का अभाव और ख़रीदने की ताकत में वृद्धि नहीं हो सकती है। जो भी हो, विकास का कोई भी प्रोग्राम स्फीति-कारी प्रभाव को तो पैदा करता ही है। इसका मुकाबला करने

के लिए यह आवश्यक है कि नियन्त्रणों की सुदृढ़ नीति पर अमल किया जाए। आख़िर इस बात पर ज़ोर तो देना ही होगा कि घाटे के अर्थ-प्रबन्ध की कला का चतुराई और विवेक के साथ इस्तेमाल होना चाहिए। अगर इन बातों का भरोसा हो जाए, तो घाटे का अर्थ-प्रबन्ध विकास में लाभकारी योग दे सकता है।

प्रश्न—किसी प्रकार की प्रगति को न लानेवाली स्थिर कीमतों को चुनने के बजाय क्या घाटे के अर्थ-प्रबन्ध से होनेवाले आर्थिक विकास को चुनना सही था ?

उत्तर—अगर घाटे के अर्थ-प्रबन्ध से होनेवाले आर्थिक विकास और स्थिर कीमतों से होनेवाली विकासहीनता में से किसी एक को चुनना हो, तो हम निश्चित रूप से घाटे के अर्थ-प्रबन्ध के उपाय को चुनेंगे और जोखिम उठा कर भी विकास का काम करेंगे।

प्रश्न—एक "मामूली आदमी" अपनी छोटी बचतों से घाटे के अर्थ-प्रबन्ध में कहां तक कमी करने में सहायक हो सकता है ?

उत्तर—वह अपनी बचतें सरकार को कर्ज़ देकर सहायता कर सकता है। सरकार को लोगों से जितनी अधिक प्राप्ति होगी (चाहे वह टैक्स की शक्ल में हो या कर्ज़ों की शक्ल में), उतना ही कम उसे घाटे के अर्थ-प्रबन्ध के उपाय की आवश्यकता होगी।

प्रश्न—क्या विदेशी सहायता को मंजूर कर लेने से हम राजनीतिक रूप से गुलाम बन जाएंगे ?

उत्तर—अगर विदेशी सहायता के साथ किसी प्रकार की राजनीतिक शर्तें नहीं हैं तो वह किसी भी देश को राजनीतिक

रूप में गुलाम नहीं बना सकती। दुनिया में आज जितने भी उन्नत देश हैं, उनमें से लगभग हर एक को अपने आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता को अपनाना पड़ा था। इस तरह विदेशी सहायता को बुरा नहीं कहा जा सकता। विदेशों से जितनी सहायता के मिलने की आशा की जाती है वह योजना पर होनेवाले कुल खर्च के मुकाबिले में बहुत कम है।

प्रश्न—अगर और अधिक विदेशी सहायता न मिली तो क्या इसका यह अर्थ होगा कि लोगों को टैक्सों के रूप में और ज्यादा बोझा उठाना पड़ेगा और दूसरी ओर खपत में भी कमी की जाएगी ?

उत्तर—हां, यह सच है कि अगर हम योजना के समय में अनुमान के अनुसार और अधिक सहायता न प्राप्त कर सके तो उस हालत में सिवा इसके और चारा नहीं कि हम अपने देश में से ही टैक्सों, कर्ज़ों और घाटे के अर्थ-प्रबन्ध के रूप में अधिक धन जुटाएं और साथ ही देश की खपत की मात्रा में भी कमी हो जाए। अगर हम आनेवाले समय में प्रगति के लिए ठोस नींव डालना चाहते हैं, तो योजना के विस्तार को कम नहीं किया जा सकता। किन्तु आज का त्याग आने वाले बरसों में फल लाएगा।

प्रश्न—इस योजना के फलस्वरूप भारत की राष्ट्रीय आमदनी में कितनी बढ़ती हो सकती है ?

उत्तर—यह योजना तो शुरू-शुरू की तैयारी के समान है। यह आइंदा विकास के लिए नींव का काम करेगी। मौजूदा समय में किये जाने वाले परिश्रम के सब परिणाम फौरन ही हासिल

नहीं होंगे, बल्कि आनेवाले बरसों में उनसे लाभ होगा। फिर भी आशा की जाती है कि इस दर्म्यान में भी राष्ट्रीय आमदनी में निश्चित उन्नति होगी। यह अनुमान किया गया है कि पांच बरसों में राष्ट्रीय आमदनी, यदि कीमतें स्थिर रहीं तो ९,००० करोड़ रुपये से १०,००० करोड़ रुपये हो जाएगी, अर्थात ११ से १२ प्रतिशत की बढ़ती होगी। यह बढ़ती मामूली तो ज़रूर कही जा सकती है, लेकिन मौजूदा हालतों में इससे अधिक बढ़ती की आशा करना अवास्तविक होगा।

खाद्य और खेती-बाड़ी

प्रश्न—यह कहा जाता है कि भारत में कोई भी योजना बनाते समय उसकी शुरूआत खेती, और ख़ासकर हमारे खाद्य की पूर्ति में बढ़ती करने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर होनी चाहिए। क्या इस योजना में इस बात पर ध्यान रखा गया है ?

उत्तर—इस योजना में खेती पर ज़ोर दिया गया है। २,०६९ करोड़ रुपये के ख़र्च की तजवीज़ में से ३६१ करोड़ रुपये खेती के लिए, १६८ करोड़ रुपये सिंचाई के लिए और २६६ करोड़ रुपये बहु-उद्देशीय अर्थात् कई ढंग की सिंचाई और बिजली योजनाओं के लिए रखे गए हैं। अगर हम यह मान लें कि बाद की आधी रक़म सिंचाई के लिए है तो सीधे तौर पर जो कुल रक़म खेती और सिंचाई पर ख़र्च होगी, वह ६६२ करोड़ रुपये हो जाती है, अर्थात् कुल ख़र्च का लगभग ३२ प्रतिशत ।

प्रश्न—खाद्य-अन्नों की पैदावार देश की आवश्यकताओं से कितनी कम रह जाती है और हमें बाहर से सालाना कितना अन्न मंगाना पड़ता है ?

उत्तर—लगभग ३० लाख टन की कमी रह जाती है और औसतन यही मात्रा हमें पिछले कुछ वर्षों से हर साल बाहर से मंगानी पड़ी है। बाहर से आए अनाजों की सालाना औसत लागत १५० करोड़ रुपये है।

प्रश्न—क्या इस योजना के पूरी तरह लागू हो जाने से भारत ख़ुराक के मामले में आत्म-निर्भर हो जाएगा ? अगर नहीं, तो वह उस लक्ष्य के कितने निकट पहुंच जाएगा ?

उत्तर—आबादी में बढ़ती के लिए गुंजाइश रखते हुए, यदि पैदावार स्थिर बनी रहे, तो खपत के मौजूदा स्तरों के अनुसार कमी बढ़ कर ६७ लाख टन हो जाएगी। जो भी हो, इस योजना का उद्देश्य अनाज की पैदावार में ७६ लाख टन की बढ़ती करने का है और इस लक्ष्य की प्राप्ति से देश आत्म-निर्भरता के लक्ष्य से भी कुछ अधिक अनाज प्राप्त करने लगेगा बशर्ते कि खपत का स्तर पहले-सा ही रहे।

प्रश्न—योजना में प्रगति के साथ-साथ क्या अनाज के सस्ते होने की भी आशा है ?

उत्तर—योजना के आख़िरी समय में अनाज की कीमतों में मामूली-सी कमी हो सकती है बशर्ते कि उनकी पैदावार में आशा के अनुसार बढ़ती हो जाए, फिर भी किसी निश्चित कमी की उम्मीद नहीं है।

प्रश्न—लोगों की ख़ुराक सम्बन्धी आदतों में किस फेर-बदल से खाद्य की हालत बेहतर हो सकती है ?

उत्तर—दुनिया भर में चावल की कमी और उसके आयात की ऊंची कीमतों को दृष्टि में रखते हुए, चावल की जगह गेहूँ

के इस्तेमाल से खाद्य की समस्या का हल आसान हो जाएगा। सहायक खाद्यों तथा मछली का अधिक इस्तेमाल भी चावल की अधिक खपत को कम कर सकता है।

प्रश्न—खेती सम्बन्धी पैदावार में बढ़ती हासिल करने की कैसे आशा की जाती है?

उत्तर—ख़ास तौर से सिंचाई के छोटे-बड़े साधनों से होने-वाली सिंचाई की बढ़ती से, ज़मीन के सुधार से और खादों, रासायनिक खादों तथा सुधरे बीजों के इस्तेमाल से खेती की पैदावार में बढ़ती होगी।

प्रश्न—क्या हम बिना सोचे-विचारे भारतीय हालतों के विरुद्ध खेती के मशीनी तरीकों को अपनाते जा रहे हैं?

उत्तर—नहीं। मशीनी तरीकों के ख़ास लाभ हैं और किन्हीं ख़ास कार्यों में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, अर्थात् बेकार या घास से पटी ज़मीनों को सुधारने, और थोड़ी आबादी के इलाकों में, जहां मज़दूरों की कमी है, ज़मीनों को जोतने के लिए उनका इस्तेमाल हो रहा है। दूसरे स्थानों में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि भूमि-सुधार के उपायों के फल-स्वरूप बड़ी-बड़ी जायदादों के टुकड़े हो जाने से हालतें उनके अनुकूल नहीं हैं और तब तक अनुकूल नहीं होंगी, जब तक कि सहकारी ढंग की खेती आरम्भ नहीं हो जाती और खेतों के आकार बड़े नहीं हो जाते।

प्रश्न—धन की प्राप्ति, पैदावार की बिक्री और सुधरे तरीकों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग के बारे में किसान को कैसे सहायता दी जाएगी?

उत्तर—चुने हुए योजना-क्षेत्रों में किसान की मदद करनेवाले सामूहिक योजना संगठन के अलावा यह तजवीज़ की गई है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा की स्थापना की जाए, जो लगभग दस वर्ष के अन्दर-अन्दर समूचे देश में फैल जाएगी। विस्तार-सेवा के कार्यकर्त्ता किसान को न केवल सुधरे तरीकों का ज्ञान करायेंगे, बल्कि सहकारी संगठनों के विकास और समूचे देहाती जीवन को भी उन्नत करने में सहायक होंगे।

जहां तक धन के प्रबन्ध का सवाल है, रिज़र्व बैंक सहकारिता आन्दोलन को अधिकाधिक सहायता दे रहा है और बड़े बैंकों को दी गई पेशगी रकमें १९४६-४७ में १·५ लाख रुपये से बढ़ कर १९५१-५२ में १२·५ करोड़ रुपये हो गई हैं। यह तय किया गया है कि रिज़र्व बैंक, सरकारी साधनों और खुद सहकारी समितियों के साधनों की सहायता से, किसानों को थोड़े समय के लिए दिए जाने वाले कर्ज़ों की रकम इस योजना के अन्त तक १०० करोड़ रुपये सालाना तक पहुंच जाएगी।

रिज़र्व बैंक ने मध्यम अवधि के कर्ज़ों के लिए भी पांच करोड़ रुपये अगाऊ देना मंज़ूर किया है और इसके अलावा सरकार भी योजना के एक भाग के रूप में इसी उद्देश्य के लिए पांच करोड़ रुपया देने जा रही है। इसी तरह सहकारिता आन्दोलन में लम्बे समय के कर्ज़े देने के लिए भी सरकार पांच करोड़ रुपया दे रही है।

बिक्री के सम्बन्ध में योजना कमीशन ने जो सुझाव दिए हैं, वे इस प्रकार हैं—(१) सहकारी बिक्री समितियों को उन्नत करना, जिनके पास गोदामों की सुविधाएं होंगी और जो खेती की पैदावार को भी सुरक्षित रखने का कार्य करेंगी, (२) नियमित बाज़ारों या मंडियों की स्थापना करना और (३) खेती सम्बन्धी पैदावार की किस्में निर्धारित करना।

प्रश्न—विकास के प्रोग्राम में सहकारिता-आंदोलन क्या कार्य करेगा ?

उत्तर—सहकारिता के सिद्धान्त को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, ख़ासकर देहाती अर्थ-व्यवस्था में, बुनियादी माना जाता है। यह योजना सहकारिता-संगठन पर इसलिए ज़ोर देती है कि वह खेती के लिए धन, खेती सम्बन्धी पैदावार की बिक्री, बीजों, रासायनिक खादों और किसानों की अन्य ज़रूरतों को पूरा करने का प्रबन्ध करे और सहकारी ढंग के गांव-प्रबन्ध से खेती करने के तरीके में तब्दीली करे। सहकारिता की ट्रेनिंग देने और सहकारी खेती करने के अनुभवों के लिए ५० लाख रुपये की रकम रखी गई है।

प्रश्न—'केन्द्रीय गांव' योजना क्या है ?

उत्तर—'केन्द्रीय गांव' शब्द एक ख़ास बात को ज़ाहिर करता है, क्योंकि इस देश में पशुओं के सुधार की कुंजी 'केन्द्रीय गांवों' में ही होती है। 'केन्द्रीय गांव' पास-पास के तीन या चार गांवों का एक क्षेत्र होता है, जिसमें सब मिला कर तीन साल से अधिक उम्र की ५०० गायें होती हैं। 'केन्द्रीय गांव' में नस्ल सुधार का काम ख़ासतौर पर बढ़िया किस्म के चुने हुए सांडों तक ही सीमित रहता है और बाकी सब सांडों को या तो वहां से हटा दिया जाता है या खस्सी कर दिया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि चार या पांच पीढ़ियों में गांव के पशुओं की सारी नस्ल बढ़िया किस्म की हो जाती है। कृत्रिम गर्भाधान (हरा करने) की कला को भी जारी किया जाएगा, जिससे नस्ल की बढ़ती के लिए रखे जाने वाले सांडों की तादाद में कमी हो सके। गो-वंशावली और दूध की पैदावार के रिकार्ड रखे जाएंगे और ठीक

ढंग का चारा तथा बीमारियों की रोकथाम के लिए भी उपाय किए जाएंगे।

पंचवर्षीय योजना में ६०० 'केन्द्रीय गांव', १५० कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और २५५ सांड पालने के फार्म बनाने का सुझाव दिया गया है।

ज़मीन सम्बन्धी नीति

प्रश्न—क्या यह कहना ठीक है कि योजना में ज़ाहिर की गई ज़मीन सम्बन्धी नीति से नई समाज-व्यवस्था का निर्माण होगा ?

उत्तर—हां, एक ओर तो इसकी मंशा बड़े-बड़े ज़मींदारों और बिचवैयों को हटा कर सारे देश में ऐसे किसान मालिक बनाने की है, जो अपनी-अपनी ज़मीनों पर खेती करेंगे। दूसरी ओर, यह सहकारिता पर ज़ोर देकर, देहाती स्तर पर किसानों की व्यक्तिगत मिल्कियत की सहकारी ढंग के प्रबन्ध पर आधारित नई व्यवस्था की ओर संकेत करती है। इस प्रकार की व्यवस्था की स्थापना बहुत लम्बी नीति का कार्य है, लेकिन योजना में सहकारी खेती करने के कुछ प्रयोगों की गुंजाइश रखी गई है।

प्रश्न—सहकारी गांव-प्रबन्ध किसे कहते हैं ?

उत्तर—गांव के लोगों द्वारा किसी गांव की सारी ज़मीन के प्रबन्ध या इंतज़ाम को सहकारी गांव-प्रबन्ध कहते हैं। जो लोग अपनी-अपनी ज़मीनों को शामिल करते हैं, उनकी मिल्कियत का अधिकार बना रहता है, और मिल्कियत के अनुसार ही उनको

लाभ में हिस्सा मिलता है। इस प्रकार के तरीके से गांव के लोग गांव की सारी ज़मीन का इंतज़ाम इस ढंग से कर सकते हैं मानो वह एक ही फार्म या खेत हो।

प्रश्न—क्या ज़मींदारों को मुआवज़ा दिया जा रहा है? अगर हां, तो किस आधार पर?

उत्तर—हां, ज़मींदारों, मालगुज़ारों और जागीरदारों को मुआवज़ा दिया जा रहा है। यद्यपि मुआवज़ा देने के तरीके हर राज्य में अलग-अलग हैं, लेकिन आमतौर पर मुआवज़ा ज़मींदार को उसकी ज़मीन से होनेवाली असली आमदनी के गुणकों में निश्चित किया जाता है। लेकिन सब हालतों में गुणक एक-सा नहीं होता। जितनी छोटी ज़मींदारी होगी उतना ही बड़ा गुणक उसके लिये काम में लाया जायगा। मिसाल के तौर पर, उत्तर प्रदेश में एक ज़मींदार है, जो २५ रुपये या उससे कम मालगुज़ारी अदा करता है। उसे उसकी असली आय की २८ गुनी रकम मुआवज़ा के रूप में (जिसमें फिर से आबाद होने की ग्रांट भी शामिल है) दी जाएगी। दूसरी ओर, जो ज़मींदार ५०,००० रुपये मालगुज़ारी देता है, उसे केवल नौ गुना मुआवज़ा मिलेगा।

आम तौर पर छोटे ज़मींदारों को मुआवज़ा नक़द दिया जाएगा (सारी रकम एक ही बार में या किश्तों में दी जाएगी)। और बड़े ज़मींदारों को बौंडों में भुगतान किया जाएगा, जिन्हें किसी के नाम में तब्दील तो किया जा सकता है, लेकिन भुनाया नहीं जा सकता। जिन रकमों का भुगतान नहीं होगा, उन पर सब ज़मींदारों को २½ प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा।

प्रश्न—योजना कमीशन इस सिद्धान्त का समर्थन करता है कि एक किसान को अधिक-से-अधिक कितनी

ज़मीन दी जाय इसका निश्चय कर दिया जाय। इसका किस ढंग से हिसाब लगाया जाएगा?

योजना कमीशन ने कुछ कसौटियां बताई हैं, जिनके द्वारा भूमि की मात्रा का निश्चय किया जा सकता है। साथ ही उसने यह विचार प्रकट किया है कि किसी क्षेत्र में जिस कसौटी से काम लिया जाएगा, वह वहां की मौजूदा पट्टेदारी और लगान के बंदोबस्त पर निर्भर होगी। कमीशन ने सुझाव दिया है कि ज़्यादा-से-ज़्यादा मात्रा तय करने का एक अमली तरीक़ा यह होगा कि उसे "कुटुम्ब की मिल्कियत" को दृष्टि में रखते हुए नियत किया जाए। इस "कुटुम्ब की मिल्कियत" की थोड़े में यह व्याख्या हो सकती है कि जो औसत दर्जे के परिवार के लिए, एक हल की खेती या काम करने की इकाई के बराबर हो। यद्यपि राज्य-राज्य में कुछ भिन्नताएं होंगी, तो भी कमीशन का विचार है कि मोटे तौर पर कोई भी किसान कुटुम्ब की मिल्कियत से तीन गुनी से अधिक ज़मीन नहीं रख सकता।

प्रश्न—क्या ज़मीन सम्बन्धी नीति काश्तकारों को न्यायपूर्ण व्यवहार का भरोसा देती है?

उत्तर—हां, ज़मीन सम्बन्धी नीति पट्टेदारी की हिफ़ाज़त और लगान की सीमा दोनों के लिए गुंजाइश रखती है। यह सुझाव दिया गया है कि आम तौर पर काश्तकारी का अधिकार कम-से-कम पांच बरस के लिए होना चाहिए और लगान पैदावार के एक-चौथाई या पांचवें हिस्से से अधिक नहीं होना चाहिए। यह भी तजवीज़ की गई है कि काश्तकारों को उस ज़मीन के ख़रीदने का अधिकार होना चाहिए जिस पर वे खेती करते हैं

बशर्ते कि वह उस क्षेत्र से अधिक हो कि जिसकी ज़मींदार को अपनी निजी खेती-बाड़ी के लिए मंज़ूरी दी गई है। उसके लिए चुकाई जानेवाली कीमत लगान की रकम के गुणक में निश्चित की जायगी और एक ख़ास अर्से में किश्तों द्वारा उसके भुगतान की सहूलियत भी दी जाएगी।

सामूहिक विकास

प्रश्न—सामूहिक विकास और सामूहिक योजनाओं का क्या अर्थ है ?

उत्तर—सामूहिक विकास एक ऐसी कोशिश है, जिसका उद्देश्य देहातों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में धीरे-धीरे फेर-बदल करना है। इस फेर-बदल के काम में उनकी निर्जी बेहतरी के लिए ख़ुद देहाती लोगों से ही सहयोग लिया जाएगा। इस काम के लिए अधिक वैज्ञानिक खेती करने का अभ्यास कराया जाएगा, सफ़ाई के बेहतर इंतज़ाम होंगे, रेलों, सड़कों आदि और घरेलू उद्योगों का विकास होगा। इस काम को पूरा करने के लिए देहातों तक पहुंचा जाएगा, लेकिन यह पहुंच ऐसे अफ़सरों की भीड़-भाड़ द्वारा नहीं होगी कि जो अलग-अलग तौर पर देहाती जीवन के केवल एक ही पहलू से सम्बन्ध रखते हों, बल्कि ऐसे प्रतिनिधि द्वारा (जो ग्राम-कार्यकर्त्ता कहलाएगा) जो कम-से-कम देहात विकास के मुख्य कामों से परिचित हो। यह तजवीज़ की गई है कि दस वर्ष के अर्से में देश भर में ऐसे कार्यकर्त्ताओं का जाल-सा बिछा दिया जाय और वे किसान को उसकी कठिनाइयों का हल सुझाने और पूरे देहाती जीवन का विकास करने में सहायक हों।

फिलहाल, गांवों के सुधार की समस्या के इस तरीके को सामूहिक योजना क्षेत्रों में ही विस्तार के साथ लागू किया जा रहा है। इस समय लगभग ५५ ऐसी योजनाएं हैं और चालू साल में ५५ और विकास-खण्ड बढ़ा दिए जाएंगे। एक योजना-क्षेत्र को तीन विकास-खण्डों में बाँटा जाता है। हर एक खण्ड में लगभग १०० गांव होते हैं, जिनकी आबादी ६० से ७० हज़ार होती है। फिर हर खण्ड लगभग ५-५ गांवों के समूहों में बाँटा जाता है। हर समूह एक ग्राम-कार्यकर्त्ता की कार्यवाही का क्षेत्र होगा। इन सामूहिक योजना-क्षेत्रों को अधिक कर्मचारी और धन दिया जा रहा है और उसके बाद समूचे देश में उनका फैलाव हो जाएगा। लेकिन इन क्षेत्रों में पूरे विकास के अनुभव से बाद में अधिक बड़े पैमाने पर सामूहिक योजना लागू करने के लिए लाभकारी सबक हासिल करने की आशा की जाती है।

प्रश्न—सामूहिक विकास का ठीक-ठीक क्या प्रोग्राम है ?

उत्तर—इस कार्यवाही का मुख्य क्षेत्र तो खेती-बाड़ी है, लेकिन रेलों, सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान बनाने, देहाती उद्योगों और सहकारिता पर भी ज़ोर दिया गया है। खेती सम्बन्धी प्रोग्राम में ये बातें शामिल हैं—मौजूदा सारी बेकार ज़मीन का सुधार करना, छोटे-छोटे सिंचाई के काम, खेती के सुधरे तरीकों को इस्तेमाल में लाना, सुधरे बीजों, रासायनिक खादों और कुदरती खादों का इस्तेमाल और पशुओं की नस्ल को सुधारना। सड़कों का प्रोग्राम इस ढंग से बनाया जाएगा कि सामूहिक योजना-क्षेत्र का हर गांव बड़ी सड़क के साथ जुड़ जाए।

आरम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए बेहतर प्रबन्ध होगा और ऐसी सुविधाओं का भी प्रबन्ध किया जाएगा कि कारीगरों को अच्छे तरीकों की शिक्षा दी जा सके।

जहां तक स्वास्थ्य का सम्बन्ध है, इस बात की कोशिश की जाएगी कि पीने के पानी की रक्षा की जाए, आदमियों और ढोरों के मैले को ठीक ढंग से ठिकाने लगाया जाए, और फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम की जाए। देहातियों को अच्छी किस्म के मकान बनाने के तरीके सिखाए जाएंगे और घने बसे गांवों में नई जगहों पर भी मकानों के बनाने की आवश्यकता हो सकती है।

प्रोग्रामों के उद्देश्यों में से एक यह होगा कि प्रत्येक गांव या गांवों के समूह में कम-से-कम एक कई उद्देश्यों वाली सहकारी समिति की स्थापना की जाए।

सिंचाई

प्रश्न—किसान की सब से बड़ी ज़रूरत उसके खेतों के लिए पानी है। यह योजना सिंचाई के मामले में किसान के लिए क्या कुछ करेगी ?

उत्तर—इस योजना से आशा की जाती है कि १६५० की निस्बत १६७ लाख एकड़ों की अधिक सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और इस सिंचाई के फलस्वरूप ४४ लाख टन और अधिक अनाज पैदा किया जाएगा।

प्रश्न—जो नदी घाटी योजनाएं पहले से बन रही हैं, उनसे योजना के समय में और उन योजनाओं के पूरा हो जाने पर क्या लाभ की आशा की जाती है।

उत्तर—जो बड़ी-बड़ी नदी घाटी योजनाएं पहले से बन रही हैं, उनसे आशा की जाती है कि पांच साला योजना के आख़िरी साल में ८५ लाख एकड़ और अधिक क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी और साथ ही लगभग १० लाख ८० हज़ार किलोवाट अलावा बिजली भी पैदा की जाएगी। इन योजनाओं के पूरा होने पर और पूरे विकास के बाद सिंचाई का कुल अलावा क्षेत्र १६६ लाख एकड़ होगा और १४ लाख किलोवाट अलावा बिजली पैदा होगी।

प्रश्न—पंचवर्षीय योजना में शामिल सिंचाई और बिजली की मुख्य योजनाएं, जो पहले से बन रही हैं, कौन-कौन सी हैं ?

उत्तर—वे ये हैं :—

भाखरा-नांगल योजना (पंजाब, राजस्थान, पैप्सू)
दामोदर घाटी योजना (पश्चिमी बंगाल और बिहार
हीराकुड बांध योजना (उड़ीसा)
तुंगभद्रा योजना (मद्रास और हैदराबाद)
लोअर भवानी योजना (मद्रास)
म्यूराक्षी योजना (पश्चिमी बंगाल)
लोअर ताप्ती घाटी योजना (बम्बई)
मछकुण्ड पन-बिजली योजना (उड़ीसा और मद्रास)
शारदा बिजलीघर (उत्तर प्रदेश)

प्रश्न—वे कौन सी पांच मुख्य योजनाएं हैं, जिन्हें योजना के आखिरी दो वर्षों में शामिल करने के लिए चुना गया है ?

उत्तर—चंबल योजना (पहली अवस्था) मध्य-भारत और राजस्थान
कोसी योजना (पहली अवस्था) बिहार और नेपाल
कोयना योजना (पहली अवस्था) बम्बई
रीहंद योजना (पहली अवस्था) उत्तर-प्रदेश
कृष्णा योजना मद्रास और हैदराबाद ।

प्रश्न—सिंचाई के छोटे-छोटे कामों का क्या महत्व होगा ?

उत्तर—सिंचाई के छोटे-छोटे कार्यों से आशा की जाती है कि

११२ लाख एकड़ों की अलावा सिंचाई होगी और २४ लाख टन अनाज की पैदावार होगी।

प्रश्न—क्या योजना में बड़ी और छोटी सिंचाई योजनाएं एक-दूसरे की पूरक के तौर पर शामिल की गई हैं या वे एक-दूसरे का मुकाबिला करनेवाली हैं?

उत्तर—बड़ी और छोटी सिंचाई योजनाओं के एक दूसरे के साथ टकराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हर क्षेत्र में ऐसे ढंग की योजना काम करेगी, जो वहां के हालात को देखते हुए सब से बेहतर हो। इस तरह बड़ी और छोटी योजनाएं एक-दूसरे की सहायक हैं।

प्रश्न—लोगों को यह महसूस करना चाहिए कि ये योजनाएं उनके निजी फायदे के लिए हैं और उनकी ओर से भी कुछ कुर्बानी आवश्यक है। वे कौन से उपाय हैं कि जिनसे जनता इन योजनाओं को कामयाब बनाने में हिस्सा बटा सकती है?

उत्तर—जनता इन उपायों से हाथ बटा सकती है :—

(१) बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिए धन का प्रबन्ध करने की ग़रज से जारी किए कर्ज़ों में पैसा लगा कर;

(२) बेहतरी की फीसें और बढ़ी हुई पानी की दरों का भुगतान करने से;

(३) ऐसी देहाती सहकारी समितियाँ बनाने से, जो नहरें खोदने, सड़कें बनाने जैसे कामों को करें;

(४) राज्य के सिंचाई के कार्यों से मिले हुए पानी को बचत और ज़्यादा-से-ज़्यादा लाभ के साथ इस्तेमाल करने से; और

(५) सिंचाई के निजी कामों की उचित ढंग से रक्षा करने से।

प्रश्न—भारत के लगभग ५ लाख ६० हज़ार देहातों में से केवल ३ हज़ार को बिजली दी गई है। इस योजना में देहातों में बिजली पहुंचाने की बाबत क्या कहा गया है ?

उत्तर—इस योजना में कहा गया है कि देहातों में बिजली पहुंचाने के सवाल को बहुत ज़रूरी समझा जाएगा, क्योंकि इससे न केवल खेती-बाड़ी के तरीकों में उन्नति होगी और घरेलू तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि देहाती क्षेत्रों का जीवन भी अधिक दिलचस्प बन जाएगा। यह सुझाव दिया गया है कि किसानों और देहाती सहकारी समितियों को देहातों में बिजली लगाने और बिजली के सामान ख़रीदने के लिए राज्य कर्ज़े दें।

उद्योग

प्रश्न—उद्योग के मुकाबले खेती पर ज्यादा रुपया क्यों ख़र्च किया जायगा ? क्या उद्योग को आगे-पीछे किए जाने वाले कामों की सूची में ठीक-ठीक जगह दी गई है ?

उत्तर—सरकार योजना के समय में उद्योगों पर सीधे सिर्फ़ ९४ करोड़ रुपया ख़र्च करेगी। इसके अलावा वह फ़ौजी उद्योगों के लिए काफ़ी साधन जुटा रही है। अगर हम इसमें छोटे-छोटे उद्योगों और खनिज-पदार्थों के विकास पर ख़र्च की जाने वाली रक़म और बुनियादी उद्योगों और यातायात पर ख़र्च होने वाले ५० करोड़ रुपये में से २५ करोड़ रुपया मिला दें तो इस काम पर कुल मिलाकर कोई १५० करोड़ रुपया ख़र्च होगा। यह रक़म, सरकार द्वारा योजना पर ख़र्च होने वाले कुल २,०६९ करोड़ रुपये के मुक़ाबले में बहुत कम मालूम पड़ेगी। लेकिन जैसा कि आपको मालूम होगा, बहुत से उद्योगों को सरकार ने ग़ैर-सरकारी लोगों के हाथों में ही रहने दिया है, और इसलिये उद्योगों का विकास बहुत कुछ सरकारी क्षेत्र के बाहर है और उस पर सरकार को ख़र्च नहीं करना होगा। सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं कि वह खेती और उद्योगों के साथ-ही-साथ बड़े-बड़े कामों

में रक़म लगाये। खेती का काम पहले रखना होगा क्योंकि अर्थ-व्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों के विकास के लिए यह ज़रूरी है कि जनता के वास्ते काफ़ी अनाज और उद्योगों के लिए कपास और पटसन जैसा काफ़ी कच्चा माल मिल सके। इसके अलावा अधिकतर किसानों के पास इतनी पूंजी आदि नहीं है कि वह खेती की उपज बढ़ा सकें। इस कारण, काफ़ी सरकारी सहायता की ज़रूरत है। दूसरी ओर कारख़ानों के मालिक अपने ही साधनों से काफ़ी विकास कर सकते हैं। उम्मीद की जाती है कि सरकारी उद्योगों के लिए आम लोगों की बचत से कुल मिलाकर कोई ६१३ करोड़ रुपये मिल सकेंगे। इसके अलावा सरकार प्रकट और अप्रकट रूप से १५० करोड़ रुपये लगायेगी। इन दोनों को मिलाकर यह रक़म ७६३ करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है। यह कोई बहुत बड़ी रक़म नहीं है। यह रक़म, योजना के समय में देश के विकास के लिए मिलनेवाली कुल रक़म की २५ फ़ी सदी है। इसके अलावा बिजली के विकास पर ख़र्च की जाने वाली इस बड़ी रक़म का कुछ हिस्सा उद्योग-धंधों के काम में आएगा।

प्रश्न—उद्योग-धंधों को बढ़ाने पर कितनी रक़म ख़र्च की जाएगी? इसका कितना भाग सरकारी उद्योगों और कितना ग़ैर-सरकारी उद्योगों पर ख़र्च किया जाएगा?

उत्तर—अन्दाज़ है कि योजना के समय में उद्योग-धंधों के विकास पर कुल मिलाकर ७०७ करोड़ रुपया ख़र्च होगा। इसमें वह रक़म शामिल नहीं है जो फ़ौजी उद्योगों पर ख़र्च की जानी है और जो बुनियादी उद्योगों और सम्बन्धित यातायात के लिए ख़र्च की जानेवाली ५० करोड़ रुपये की रक़म में से उद्योगों के लिए दी जाएगी। इस ७०७ करोड़ रुपये की रक़म में से ६४ करोड़ रुपये सरकार 'सरकारी उद्योगों पर ख़र्च करेगी।

अनुमान है कि बाक़ी रक़म कारख़ानों के मालिक अपनी ओर से लगाएंगे।

प्रश्न—अलग-अलग उद्योगों के उत्पादन के क्या लक्ष्य निश्चित किए गए हैं? इन उद्योगों का उत्पादन कितना बढ़ जाएगा?

उत्तर—योजना में ख़ास तौर पर ऐसे उद्योगों का माल तैयार करने की शक्ति बढ़ाने के सुझाव दिए गए हैं जो मशीनें आदि और उत्पादन करनेवालों के काम आनेवाली चीज़ें तैयार करते हैं। ऐसे उद्योगों में, जहां आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ें तैयार की जाती हैं, अगर आजकल की माल तैयार करने की ताकत को ही पूरी तरह इस्तेमाल किया जाय तो न सिर्फ़ लोगों की आज की ज़रूरतें पूरी की जा सकेंगी, बल्कि दूसरे देशों को भेजने के लिए भी चीज़ें बच रहेंगी। इस सबब से जहां तक आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ें तैयार करनेवाले उद्योगों का सम्बन्ध है, उनका उत्पादन बढ़ाने का महत्व दूसरे उद्योगों से कहीं कम है।

अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका से पता चल जाएगा कि कुछ बड़े-बड़े उद्योगों में कितनी चीज़ों के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और कितनी चीज़ें और तैयार की जानी चाहिएं।

	इकाई	१९५५-५६ तक ज़्यादा उत्पादन की शक्ति	सन् १९५५-५६ तक ज़्यादा उत्पादन टनों में
१. लोहा और इस्पात			
(क) कच्चा लोहा	'००० टन	१,७५७	१,२६१
(ख) तैयार इस्पात	,,	६३५	३९४
२. सीमेंट	,,	२,०२६	२,१०८
३. पटसन का माल	,,	...	३०८
४. अमोनियम सल्फेट	,,	४०२·६	४०३·७
५. अलमोनियम	टन	१६,०००	८,३००
६. कास्टिक सोडा	टन	१८,४००	२१,६२५
७. गंधक का तेज़ाब	'००० टन	७०	१०१

८.	चीनी	'००० टन	१०	३८०
९.	सूती कपड़ा			
	(क) तकुवे	...	३,५०,०००	...
	(ख) सूत	...	५,३०,००,००० पौंड	४६,१०,००,००० पौंड
	(ग) मिल का कपड़ा	...	३,५०,००,००० गज़	९८,२०,००,००० गज़
	(घ) हाथ करघे का कपड़ा	...	...	८९,००,००,००० गज़
१०.	साइकिलें		४,१०,०००	४,२९,०००
११.	पैट्रोलियम			
	(क) तरल पैट्रोलियम की चीज़ें		...	४०,३०,००,००० गैलन
	(ख) बीतूमिन	'००० टन	...	३७.५
१२.	अख़बारी काग़ज़	,,	३०	२७.०

प्रश्न—भारत सरकार और राज्य सरकारों ने कुछ उद्योगों की योजनाएं पूरी करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा योजना के अनुसार किन उद्योगों को पहले शुरू किया जाएगा और किन्हें बाद में ?

उत्तर—भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई अलग-अलग योजनाओं को पूरा करने और कई फ़ौज़ उद्योगों की स्थापना के अलावा उद्योगों को इस सिलसिले से शुरू किया जाएगा :

१. उद्योग-धंधों के काम आनेवाला माल जैसे पटसन और परतदार लकड़ी तैयार करनेवाले उद्योगों और सूती कपड़ा, चीनी, साबुन, वनस्पति, रंग और वार्निश जैसी आम ज़रूरत की चीज़ें तैयार करनेवाले उद्योगों को उनकी पूरी ताकत से चलाना।
२. उद्योग-धंधों के काम आनेवाला माल तैयार करनेवाले उद्योगों और पूंजीगत माल तैयार करनेवाले उद्योगों, जैसे लोहा और इस्पात, अलमोनियम सीमेंट, रासायनिक खाद, रासायनिक पदार्थ, मशीनों के पुर्ज़े, आदि की उत्पादन की शक्ति बढ़ाना।
३. ऐसे नए कारख़ाने खोलना जिनसे उद्योग-धंधे मज़बूत हों; और मौजूदा साधनों का ध्यान रखते हुए उनकी मौजूदा कमियां दूर करना।

प्रश्न—सरकार द्वारा शुरू किए जानेवाले मुख्य-मुख्य उद्योग-धंधे कौन से हैं ? उन पर कितना रुपया ख़र्च होगा ?

उत्तर—सरकार द्वारा शुरू किए जानेवाले ऐसे उद्योग,

जिनमें से हर एक पर १'० करोड़ से अधिक रुपया खर्च किया जाएगा, इस प्रकार हैं :

योजनाएं जिन्हें शुरू किया जा चुका है	पहली अप्रैल १६५१ तक खर्च (करोड़ रुपया)	सन् १६५१-५६ के बीच खर्च (करोड़ रुपया)
१. सिन्द्री का रासायनिक खाद तैयार करने का कारखाना	१८'४	६'०
२. चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	१०'२	४'७
३. भारतीय टेलीफोन उद्योग	१'२	१'३
४. मैसूर लोहा और इस्पात कारखाने को बढ़ाना	२'२	२'८
५. उत्तर प्रदेश की सीमेंट फैक्टरी	१'५	२'३
६. नेपा मिल्स, मध्य प्रदेश	२'२५	२'०
७. सिरसिल्क लिमिटेड	३'८१	२'०
८. मशीन के पुर्ज़े तैयार करने का कारख़ाना-फ़ौज़ी	आंकड़े प्राप्त नहीं	आंकड़े प्राप्त नहीं

नई योजनाएं	३१ मार्च १६५६ तक खर्च (करोड़ रुपया)	कुल खर्च (करोड़ रुपया)
६. लोहा और इस्पात	३०'०	८०'०
१०. मशीनों के पुर्ज़े तैयार करने का कारख़ाना	६'७८	६'७८
११. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	१४'०८	१८'१५

१२. आल स्टील इंटीग्रल कोच फैक्टरी (रेल के डिब्बों का कारख़ाना)	४·००	४·००
१३. पैनिसलीन तैयार करने का कारख़ाना	२·११	२·११
१४. हिन्दुस्तान केबिल्स लिमिटेड	१·३०	१·३०
१५. मण्डी के नमक कारख़ाने	१·००	१·००
१६. नेशनल इंस्ट्रूमैंट फैक्टरी	१·८६	१·८६
१७. रैडार और वायरलैस कार्यक्रम-फ़ौज़ी	आंकड़े प्राप्त नहीं	७·०
१८. बिजली की वज़नदार मशीनें आदि बनाने का कारख़ाना	७·००	२८·०

(इस पर योजना में दिए गए ५० करोड़ रुपये की रक़म में से ख़र्च किया जाएगा)

प्रश्न—इस समय उद्योग-धंधों की हालत ठीक नहीं है। क्या इससे इस हालत में कुछ सुधार होगा ?

उत्तर—हां, इससे सुधार तो होगा ही, यद्यपि इस सबब से ही ऐसा नहीं किया गया है। इस समय उद्योग-धंधों में जो गड़बड़ी है उसे तो सरकारी और ग़ैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में विकास करके पूरी तरह सुधारा जा सकता है।

प्रश्न—ग़ैर-सरकारी लोगों के हाथों में कौन-कौन से ख़ास उद्योग रह गए हैं ?

उत्तर—सन् १९४८ के उद्योग-नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में

कुछ उद्योगों का काम सरकार को ही सौंप दिया गया है जैसे हथियार और गोलाबारूद बनाने का उद्योग; ऐटमी ताकत की तैयारी और उसका प्रबन्ध और रेल-व्यवस्था की मिलकियत और उसका कन्ट्रोल। इनके अलावा बाकी उद्योग ग़ैर-सरकारी लोगों के लिए छोड़ दिए गए हैं। इतना ज़रूर है कि कोयला, लोहा और इस्पात, हवाई जहाज़, जहाज़, टेलीफोन, तार और बेतार के यंत्र बनाने और खनिज तेल के उद्योगों का आगे विकास करने की ज़िम्मेदारी सरकार पर रहेगी। लेकिन इस क्षेत्र में भी सरकार ग़ैर-सरकारी लोगों की उस हद तक मदद लेगी जितना वह ज़रूरी समझेगी। मिसाल के तौर पर भारत सरकार ने हाल में खनिज तेल निकालने और लोहा और इस्पात का उत्पादन बढ़ाने का काम ग़ैर-सरकारी लोगों के हाथ में दे दिया है; यद्यपि इन दोनों उद्योगों के आगे के विकास को सरकार ने अपने हाथ में रख छोड़ा है। जिन उद्योगों के विकास की योजना को सरकार ने हाथ में ले रखा है उनके लिए भी सरकार ग़ैर-सरकारी लोगों से पूंजी लगाने को कह रही है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि फ़ौजी उद्योगों को छोड़ बाकी उद्योग ग़ैर-सरकारी लोगों के लिए छोड़ दिए गए हैं। लेकिन, सरकार इन उद्योगों पर सन् १९५१ के उद्योग विकास और नियमन क़ानून के अधीन कन्ट्रोल रखेगी।

प्रश्न—क्या ग़ैर-सरकारी लोगों को इतनी छूट दे दी गई है कि वे आम जनता को नुकसान पहुंचा कर अपना लाभ करें?

उत्तर—नहीं। यह सच है कि अधिकतर उद्योग ग़ैर-सरकारी लोगों के हाथों में दे दिए गए हैं; लेकिन उनके काम पर कुछ रोक लगा दी गई है। उद्योगों को ठीकठाक रखने और उन पर कन्ट्रोल बनाए रखने से सम्बन्धित क़ानून की १५वीं, १६वीं और १७वीं

धारा के अनुसार भारत सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी उद्योग की जांच कर सकती है और कुछ हालतों में तो वह उन्हें अपने हाथ में भी ले सकती है। यह इंतजाम इसलिए किया गया है कि ग़ैर-सरकारी उद्योग पांच-साला योजना के सामाजिक उद्देश्यों के अनुसार और देश की भलाई के लिए काम करें। इसके अलावा भारतीय कम्पनी कानून में भी कुछ फेर बदल करने का सुझाव रखा गया है जिससे कि उद्योग-धंधों की व्यवस्था ऐसी हो जिससे वे देश के औद्योगिक विकास में ज़्यादा-से-ज़्यादा भाग ले सकें।

प्रश्न—क्या योजना में यह सिफ़ारिश की गई है कि ग़ैर-सरकारी लोगों को बड़े-बड़े उद्योग शुरू करने के लिए बढ़ावा दिया जाय?

उत्तर—यह तो साफ़ ही है कि बड़े-बड़े उद्योगों में, जिनमें करोड़ों रुपयों की रकम लगानी है, सरकारी मदद लेनी पड़ेगी। सरकारी मदद के न मिलने से यह हो सकता है कि पूंजी लगाने वाले का उस उद्योग में विश्वास ही पैदा न हो और वह उसमें पूंजी न लगाए। योजना में यह बात मान ली गई है कि सबसे पहले शुरू किये जानेवाले उद्योगों में पूंजी लगाने के लिए लोगों को उत्साहित करने की कुछ न कुछ व्यवस्था करनी होगी, जैसे रियायती दरों पर बिजली देना, पूंजी गत माल और कच्चे माल के बाहर से मंगाने पर आयात कर में छूट देना और सरकारी संरक्षण का विश्वास दिलाना। उद्योगों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार ही ये रियायतें देनी होंगी।

प्रश्न—क्या कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में विदेशी पूंजी बहुत कम लगाई गई? क्या अब ऐसे हालात

पैदा कर दिए गए हैं कि विदेशी पूंजी बिना रोकटोक भारत आ सके ?

उत्तर—किसी भी देश में विदेशी पूंजी का लगना इस बात पर निर्भर करता है कि वहां राजनीतिक और आर्थिक हालत ठीक है या नहीं, टैक्स किस प्रकार लगाये जाते हैं और निजी उद्योगों के प्रति क्या नीति बरती जाती है। पिछले कुछ वर्षों में विदेशों से कम पूंजी आने का एक कारण यह है कि विदेशों में भारत के बंटवारे और आज़ादी के बाद यहां की राजनीतिक और आर्थिक हालत के बारे में संदेह थे। देश में लोहा और इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के बारे में टाटा आयरन एण्ड इस्टील वर्क्स को और दामोदर घाटी कारपोरेशन को बिजली का उत्पादन बढ़ाने के वास्ते कर्ज़े देने की जो सफल बातचीत हुई है, और भारत में तेल साफ़ करने का कारखाना बनाने के लिए दुनिया की तीन बड़ी बड़ी पैट्रोलियम कम्पनियों ने पूंजी लगाने का जो फैसला किया है, उनसे यह पता चलता है कि विदेशी लोगों को भारत के भविष्य में विश्वास पैदा होने लगा है। कमीशन की यह सिफ़ारिश, कि योजना के समय में वर्तमान उद्योगों को सरकार अपने हाथ में न लेवे, सरकार ने मान ली है। इससे भी विदेशी लोगों को भारत में पूंजी लगाने के लिए बढ़ावा मिला है।

घरेलू उद्योग

प्रश्न—घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा ?

उत्तर—घरेलू-उद्योगों के सामने ख़ास तौर पर ये मुश्किलें हैं : बड़े-बड़े उद्योगों द्वारा तैयार किए गए माल से होड़, पूंजी की कमी, कच्चे माल प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए संगठन की कमी, और घरेलू उद्योगों द्वारा तैयार किए जानेवाले माल को और अच्छी तरह तैयार करने के तरीके में सुधार करने के वास्ते संगठित प्रयत्न की कमी। योजना में यह बात मान ली गई है कि देश की अर्थ-व्यवस्था में घरेलू उद्योगों को महत्वपूर्ण भाग लेना है और ये उद्योग ऐसे होने चाहिएं जिनमें दूसरे क्षेत्रों के फालतू मज़दूर काम कर सकें। इन उद्योगों में इस समय जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी पूरे समय तक काम करने का प्रबन्ध होना चाहिए। घरेलू उद्योगों की हालत मजबूत बनाने के लिए और उनके विकास को बढ़ावा देने के वास्ते निम्नलिखित कदम उठाने का सुझाव दिया गया है—

(१) घरेलू और छोटे-छोटे उद्योगों के वास्ते खोज-संस्थाएं खोलना।

(२) घरेलू उद्योगों में काम करनेवाले लोगों की सहकारी समितियां बनाना जो कच्चे माल की ख़रीद और तैयार माल की बिक्री का काम करे।

(३) घरेलू उद्योगों के लिए कुछ चीज़ों का उत्पादन अलग कर देना जिससे बड़े-बड़े उद्योगों में तैयार की गई चीज़ों से होड़ न हो पाए।

(४) बड़े-बड़े उद्योगों पर विशेष कर लगाना जिससे उसी तरह के घरेलू उद्योगों को फ़ायदा पहुंच सके।

(५) जहां कहीं भी सम्भव हो, सरकार घरेलू उद्योगों में तैयार किए गए माल को पहला स्थान दे।

सरकार ने तीन बोर्ड बना दिए हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं—अखिल भारतीय खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड; अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड और हाथ करघा बोर्ड। ख़्याल है कि ये बोर्ड अपने-अपने क्षेत्र के लिए प्रोग्राम तैयार करेंगे और उनका संगठन करेंगे।

रेलें, सड़कें, हवाई यात्रा और जहाज़रानी

प्रश्न—रेलों, सड़कों, जहाज़रानी आदि पर जो ख़र्च होना है, उसका अधिकांश भाग रेलों पर ख़र्च किया जाएगा, यह किस प्रकार ठीक है ?

उत्तर—खेती और उद्योग दोनों के विकास के लिए यह ज़रूरी है कि रेलों को अधिक से अधिक अच्छी तरह चलाया जाय और उनका अधिक से अधिक विकास किया जाय। लड़ाई के कारण बहुत सी चीज़ों की बदल नहीं हो सकी। इसलिए अगर इस कमी को और रेलों, सड़कों, जहाज़रानी आदि की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करना है तो योजना में बताई गई रक़म ख़र्च करनी पड़ेगी। ख़्याल है कि रेलों के प्रोग्राम के लिए योजना में २५० करोड़ रुपये की जो तजवीज़ की गई है, वह ज़रूरत से कहीं कम है और रेलों के लिए आगे चल कर बुनियादी उद्योगों और यातायात के लिए निश्चित की गई ५० करोड़ की रकम में से कुछ रुपया निकालना होगा।

प्रश्न—चित्तरंजन का रेल-इंजन बनाने का कारख़ाना

और टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कम्पनी किस हद तक नए इंजनों की ज़रूरत पूरी कर सकेंगे ?

उत्तर—मार्च सन् १९५१ में १,०५० रेल-इंजन बदले जाने थे और ख़्याल है कि योजना के समय में १,०४२ इंजन और बदले जाने योग्य हो जाएंगे। ख्याल किया जाता है कि इस समय में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कम्पनी क्रमशः २६८ और १७० इंजन तैयार करेंगे। इस तरह कुल मिला कर ४३८ इंजन बन पाएंगे। उम्मीद है कि ६०० इंजन बाहर से मंगाए जाएंगे। लेकिन, बाहर से काफ़ी इंजन मंगाने की ज़रूरत है और योजना के समय के अन्त में भी बदल की ज़रूरत बनी रहेगी। उस समय तक चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कम्पनी हर साल क्रमशः १०० और ५० इंजन तैयार करेंगे। अगर इंजनों की बदल का पिछला काम बाकी न रहा होता तो हर साल कोई १६० इंजनों की बदल की ज़रूरत रहती।

प्रश्न—तीसरे दर्जे के मुसाफ़िरों को और अधिक आराम देने की बराबर मांग की जा रही है। क्या योजना में इस पर विचार किया गया है ?

उत्तर—हां, योजना में मुसाफ़िरों के आराम के लिए १५ करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसमें से अधिकतर रुपया तीसरे दर्जे के मुसाफ़िरों के आराम को बढ़ाने पर ख़र्च किया जाएगा।

प्रश्न—उद्योग-धंधों के बढ़ जाने के बाद लोगों का

आना-जाना और माल का परिवहन बढ़ जाएगा। क्या योजना में इसका इन्तज़ाम है ?

उत्तर—उद्योग-धंधों के बढ़ जाने के बाद माल और लोगों के आने-जाने में जो बढ़ती होगी उसका सामना करने के लिए रेल-प्रोग्राम में कुछ प्रबन्ध किया गया है। मिसाल के तौर पर सिन्द्री में रासायनिक खाद तैयार करने के कारखाने के लिए रेलों को बीकानेर से हर दिन १,००० टन खड़िया पहुंचानी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक पूरी गाड़ी इस काम पर लग जाती है। लोगों के और माल के बढ़ते हुए यातायात की ज़रूरत न सिर्फ़ रेल के डिब्बों आदि की संख्या बढ़ाकर ही, बल्कि कई और तरीकों से, जैसे रेल की नई पटरियां बिछा कर भी पूरी की जा सकती है। रेलों की बदल अभी इतनी बाक़ी है कि अगर हम कार्यक्रम के अनुसार बदल करें तो रेल के डिब्बों आदि में काफ़ी बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। लेकिन योजना में बुनियादी उद्योगों और यातायात पर खर्च की जानेवाली ५० करोड़ रुपए की एक मुश्त रकम में से कुछ रुपया रेलों पर खर्च करने की तजवीज़ की गई है जिससे वे उद्योग-धंधों की बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा कर सकें।

प्रश्न—जहाज़रानी के बारे में सरकारी नीति के दो मुख्य उद्देश्य ये हैं—(१) समुद्रतट के साथ-साथ होनेवाला व्यापार भारतीय जहाज़ ही करेंगे। (२) समुद्र पार व्यापार में भी भारतीय जहाज़ पहले से ज़्यादा भाग लेंगे। इस नीति को अमल में लाने के लिए योजना में क्या सुझाव रखे गए हैं ?

उत्तर—समुद्रतट के साथ-साथ होनेवाले व्यापार को भारतीय

जहाज़ों के लिए सुरक्षित रखने की नीति को अमल में लाने से लिए यह प्रबन्ध करना होगा कि वे कोई दो लाख टन वज़न के माल की जगह कोई तीन लाख टन वज़न का माल ले जाएं। योजना में ऐसी भारतीय जहाज़रानी कम्पनियों को, जो समुद्र तट के साथ होनेवाले व्यापार में लगी हुई हैं, आर्थिक सहायता देने की तजवीज़ की गई है जिससे वे ६५,००० जी० आर० टी० वज़न बढ़ा लें। इसके अलावा विजगापट्टम में जहाज़ बनाने की गोदी में जो जहाज़ तैयार किए जाएंगे उनमें से कुछ समुद्र तट के साथ-साथ व्यापार करनेवाले जहाज़ों की संख्या बढ़ाने के लिए और बदल के लिए ले लिए जाएंगे। पांच साला योजना में हिन्दुस्तान शिप बिल्डिंग-यार्ड लिमिटेड के लिए जो रकम निश्चित की गई है, उसमें से जहाज़रानी कम्पनियों को आसान शर्तों पर कर्ज़े देने की तजवीज़ की गई है जिससे वे यार्ड में बनाए गए जहाज़ों को ख़रीद सकें।

जहां तक भारतीय जहाज़ों द्वारा समुद्र पार व्यापार में भाग लेने का सवाल है, योजना में ज़हाजरानी कम्पनियों को कर्ज़ देने के लिए रकम की व्यवस्था की गई है। ये कम्पनियां इस कर्ज़ से १,१०,००० जी० आर० टी० टन-भार ख़रीद सकेंगी। इस अतिरिक्त टन भार से भारतीय कम्पनियां समुद्र पार के व्यापार में अधिक अच्छी तरह भाग ले सकेंगी।

प्रश्न—देश के बँटवारे से भारत में बन्दरगाहों के विकास की ज़रूरत पर क्या असर पड़ा है?

उत्तर—कराची बन्दरगाह पाकिस्तान में चले जाने से बंबई बन्दरगाह पर दबाव बढ़ गया। कराची से राजस्थान, पूर्वी पंजाब और आस-पास के इलाकों का व्यापार हुआ करता था। अब इन इलाकों का कुछ काम बंबई पर आ पड़ा है। कराची से

होनेवाले व्यापार को सँभालने के वास्ते कांडला को अब एक बड़ा बन्दरगाह बनाया जा रहा है। इस बन्दरगाह से सन् १९५६ तक ८,५०,००० टन माल आ-जा सकेगा।

प्रश्न—भारत में तेल साफ़ करने के कारखाने बनाये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में योजना में किस हद तक बन्दरगाहों में सुविधायें देने के लिए ज़रूरी सुधार किया गया है?

उत्तर—तेल साफ़ करने की नई कम्पनियों को बंबई के ट्राम्बे टापू में बन्दरगाह और यातायात सम्बन्धी ज़रूरी सुविधाएं देने के लिए ८ करोड़ रुपए की तजवीज़ की गई है। विज़गापट्टम में तेल साफ़ करने का जो कारखाना बनाया जाना है, उसके लिए अभी तक कोई निश्चित प्रबन्ध नहीं किया है। विज़गापट्टम के कारखाने के बारे में हाल में ही एक समझौते पर दस्तख़त किए गए हैं। लेकिन ख़्याल है कि बुनियादी उद्योगों और यातायात के लिए निश्चित की गई ५० करोड़ रुपये की रकम में से कुछ रुपया बन्दरगाह में ज़रूरी सुविधायें देने पर ख़र्च किया जायगा।

प्रश्न—योजना के अनुसार बड़े-बड़े बन्दरगाहों पर ख़ास तौर पर क्या-क्या विकास किया जायगा?

उत्तर—कलकत्ता बन्दरगाह के विकास की ख़ास-ख़ास बातें ये हैं—गार्डन रीच जेटी को फिर से बनाना; दो 'मैन्युअल कोल बर्थ' और एक 'मेकैनिकल ओर बर्थ' बनाना; रेलों के डिब्बों, इंजन और वज़नदार माल उठाने के लिए क्रेन खरीदना। ये क्रेन नदी-घाटी-योजनाओं के लिए मंगाई जानेवाली वज़नदार मशीनें और दूसरा सामान उठायेंगी।

बम्बई में विकास की ख़ास-ख़ास बातें यह हैं—प्रिंसेस और विक्टोरिया डाक को नये किस्म का बनाना; माल रखने के

लिये शैड बनवाना जहां से वह दूसरे स्थानों को भेजा जा सके; और एलैक्ज़ेन्ड्रा डाक्स में बिजली के क्रेन लगाना।

मद्रास में २८७ करोड़ रुपये के ख़र्च से एक 'वेट-डाक' बनाई जायगी और पेट्रोलियम के लिए हर मौसम में काम देनेवाले दो गोदाम बनेंगे। कोचीन के लिए जो कार्यक्रम तैयार किया गया है, उसमें आम-माल रखने के लिए नए गोदाम बनाने की व्यवस्था है।

प्रश्न—योजना में नागरिक हवाई कम्पनियों को मिला देने की तजवीज़ क्यों की गई है? क्या वर्तमान हवाई कम्पनियों को मुआवज़ा दिया जायगा?

उत्तर—जांच करने पर पता चला है कि आज हवाई कम्पनियों को जिन परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है। उनके कारण उनका संचालन लाभदायक ढंग से नहीं हो सकता। चूंकि हवाई-जांच-कमेटी की सिफ़ारिश के अनुसार हवाई यातायात कम्पनियों ने अपनी इच्छा से अपने को संगठित नहीं किया, इसलिए कमीशन ने सिफ़ारिश की कि मौजूदा कम्पनियों की एक कारपोरेशन बना दी जाय। कम हवाई ज़हाजों से काम चल जायगा और ऊपरी ख़र्च भी कम हो जाएंगे।

नई कारपोरेशन, वर्तमान हवाई कम्पनियों का साज़-सामान आदि लेने के लिए उन्हें उचित रकम देगी। अगर ये कम्पनियां चाहेंगी तो ये नई कारपोरेशन में अपने सामान के बदले में शेयर ले सकेंगी।

प्रश्न—यह कहा जा सकता है कि सड़कों की कमी के कारण देहात पिछड़े हुए हैं। क्या योजना में लोगों को मिल-जुल कर मेहनत करके सड़क बनाने के लिए बढ़ावा दिया गया है?

उत्तर—सामूहिक-विकास योजनाओं में आम लोगों द्वारा अपनी ख़ुशी से काम करके सड़कें बनाने पर ख़ास ज़ोर दिया

गया है और कच्चे आंकड़ों के अनुसार यह अन्दाज़ लगाया गया है कि इन योजना-क्षेत्रों में योजना के समय में १६ हज़ार से लेकर १७ हज़ार मील लम्बी कच्ची सड़कें बन जाएंगी। ख़्याल है कि दूसरे इलाकों में भी लोग अपनी इच्छा से सड़कें बनायेंगे और योजना में "स्थानीय कामों" के लिए १५ करोड़ रुपये की तजवीज़ की गई है जिससे कि सरकारी सहायता द्वारा ऐसे कामों को बढ़ावा दिया जा सके।

प्रश्न—गांवों में सड़कें बनाने के अलावा राष्ट्रीय सड़कों और राज्य सड़कों के विकास का प्रोग्राम क्या है?

उत्तर—जहां तक राष्ट्रीय-सड़कों का सम्बन्ध है, पांच साला-योजना में कोई २२० मील लम्बी सड़कें और १८ बड़े-बड़े पुल बनाने की तजवीज़ की गई है। इन सड़कों और पुलों का काम शुरू हो चुका है। इनके अलावा कोई ४५० मील लम्बी सड़कें और ४३ बड़े-बड़े पुल बनाने का भी सुझाव है। आशा है, इन सड़कों के अलावा २,२०० मील लम्बी राष्ट्रीय-सड़कों के सुधार का काम शुरू किया जायगा। इनमें से दो-तिहाई सड़कें शायद योजना के समय में बन कर तैयार हो जाएंगी। जहां तक राज्य-सड़कों का सम्बन्ध है—योजना में सन् १९५५-५६ तक "क" भागवाले राज्यों में पक्की (तारकोल की) सड़कों की लम्बाई १०,००० मील से १२,४५६ मील तक बढ़ाने और "ख" भाग-वाले राज्यों में ७,५८८ मील से ८,१२९ मील तक बढ़ाने की तजवीज़ की गई है। "ग" भागवाले राज्यों में भी बहुत सी नई सड़कें बनाई जाएंगी जिससे उन इलाकों तक पहुंचा जा सकेगा जहां इस समय पहुंचना मुश्किल है।

मकान

प्रश्न—भारत में मकानों की कमी के ख़ास-ख़ास कारण क्या हैं ?

उत्तर—भारत की आबादी पिछले तीन साल में बहुत ज़्यादा बढ़ती रही है और लोग बराबर देहातों से नौकरी ढूंढने और रहने-सहने की सहूलियतें खोजने के लिये शहरों और कस्बों में आते रहे हैं। इस सबब से शहरी इलाकों में मकानों की कमी हो गई जोकि लड़ाई के समय में और बढ़ गई। मकानों की कमी होने का दूसरा कारण देश के बंटवारे के बाद बेघर लोगों का बड़ी संख्या में भारत आना भी है।

प्रश्न—भारत सरकार और राज्यों की सरकारें मकानों की कमी को दूर करने के लिये क्या कार्रवाई कर रही हैं ?

उत्तर—पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान से आनेवाले बेघर लोगों को बसाने के लिए सरकार ने कई बस्तियों और छोटे-छोटे नगरों का प्रबन्ध किया है। अब तक के अन्तिम आंकड़ों के अनुसार पश्चिमी पाकिस्तान से आनेवाले बेघर लोगों के लिए

कोई एक लाख मकान और पूर्वी पाकिस्तान से आनेवाले लोगों के लिए कोई डेढ़ लाख से अधिक मकान बनवाये जा चुके हैं।

बम्बई और उत्तर प्रदेश की तरह कई सरकारों ने स्थानीय अड़चनों को दूर करने के लिए विशेष संस्थायें बनाई हैं। ये संस्थायें कुछ मकान बनवाने में सफल रही हैं, जैसे बम्बई और राजपुर में उद्योग-धन्धों में काम करनेवाले मज़दूरों और कम आमदनीवाले लोगों के लिए मकान बनवाये गए। सन् १६५२ में भारत सरकार के सार्वजनिक-निर्माण और मकान-निर्माण सम्बन्धी विभाग ने योजना-कमीशन की सिफ़ारिशों के अनुसार आर्थिक सहायता देकर मकान बनवाने की एक योजना शुरू की।

प्रश्न—सरकार की मकान बनवाने की योजना कितनी बड़ी है और उससे कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा ?

उत्तर—योजना कमीशन ने योजना के समय में भारत में उद्योग-धन्धों में काम करनेवाले मज़दूरों के लिए मकान बनवाने के काम पर ख़र्च करने के वास्ते भारत सरकार के कोष में से ३८.५ करोड़ रुपये अलग कर दिये हैं।

कारख़ानों में काम करनेवाले मज़दूरों के वास्ते मकान बनवाने के लिए राज्य सरकारों, मिल-मालिकों, और मज़दूरों की सहकारी संस्थाओं को इस कोष में से आर्थिक सहायता और क़र्ज़ दिए जा रहे हैं। अन्दाज़ है कि इस कोष की सहायता से योजना के पांच साल में कोई ७०-८० हज़ार मकान बन जायेंगे।

प्रश्न—धन की सहायता देकर कारख़ानों के मज़दूरों के लिए मकान बनवाने की योजना क्या है ?

उत्तर—चूंकि गैरसरकारी-उद्योग आम तौर पर कम आम-

दनी वाले लोगों के लिए ऐसे किरायों पर मकानों की तजवीज़ नहीं कर सकते हैं जो कि वे दे सकते हैं, इसलिए सरकार को आर्थिक सहायता और क़र्ज़ देने पड़ते हैं। इस योजना के अधीन छोटे शहरों में मज़दूरों के लिए ऐसे मकान बनवाने की तजवीज़ की गई है जिन पर अधिक-से-अधिक २,७०० रुपये ख़र्च आए। बड़े शहरों में ऐसे प्रत्येक मकान पर ४,५०० रुपये ख़र्च होंगे। यह रुपया उस रक़म में से ख़र्च किया जायगा जो भारत सरकार, राज्य-सरकारों को आर्थिक सहायता और क़र्ज़ों की शक्ल में देगी। राज्य सरकारें यह रकम कानून द्वारा बनाई गई मकान बनाने-वाली संस्थाओं को देंगी। इस योजना के अधीन मालिकों और मकान बनवाने वाली सहकारी संस्थाओं को मकान बनाने में होने वाले ख़र्च की क्रमशः २५ फ़ी सदी और ३७ फ़ी सदी रक़म के बराबर आर्थिक सहायता और क़र्ज़े दिए जायेंगे। लेकिन, यह सहायता और क़र्ज़े एक निश्चित सीमा के आगे नहीं दिए जाएंगे।

प्रश्न—मकान बनाने की योजना में गंदी बस्तियों को साफ़ करने की तजवीज़ है या नहीं?

उत्तर—छोटे और गंदे मकानों को साफ करना—मकान बनवाने की नीति का ऐसा महत्त्वपूर्ण अंग है जोकि नये मकान बनवाने के साथ-साथ चलना चाहिए। इस कारण योजना कमीशन ने सुझाव दिया है कि उसने योजना के समय में मकान बनवाने पर जो ३८·५ करोड़ रुपया ख़र्च करने की तजवीज़ की है, उसमें से कुछ रक़म हर साल इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों और दूसरी स्थानीय संस्थाओं को छोटे और गंदे मकान अपने अधिकार में लेने और उन्हें गिराने के लिए क़र्ज़े की शक्ल में दी जाय। कमीशन ने यह सिफ़ारिश भी की है कि मज़दूरों के रहने के

इलाकों में अनिवार्य रूप से जो मकान प्राप्त किए जायेंगे उनके लिए कोई अतिरिक्त मुआवजा नहीं दिया जायगा।

प्रश्न—गांवों में मकानों की हालत सुधारने के लिये क्या किया जा रहा है?

उत्तर—राज्य-सरकारों ने अलग-अलग किस्म के मकान बनवाने की योजनाओं के लिए १०·१६ करोड़ रुपये की तजवीज़ की है। योजना-कमीशन ने सुझाव दिया है कि उन्हें योजना के समय में गांवों में मकानों की हालत सुधारने पर ज़ोर देना चाहिए। इसलिए, यह उम्मीद है कि ऊपर बताई गई रक़म गांवों में मकानों की हालत सुधारने और पीने के पानी, नालियों और कई गांवों में पक्की सड़कें बनाने जैसी सुविधायें देने पर ख़र्च की जाएगी। सामूहिक-योजना-कार्य के अंतर्गत भी योजनावाले इलाकों में मकानों का सुधार करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

स्वास्थ्य

प्रश्न—क्या गांवों और शहरों में पानी और नालियों की काफ़ी सुविधाएं देने की तजवीज़ है ?

उत्तर—इसकी काफ़ी व्यवस्था की गई है। फिर भी वह जरूरत से कम है। इस काम पर तो बहुत रुपया ख़र्च करना होगा। राज्यों ने अपनी योजनाओं में पानी और गंदे पानी को निकालने के लिए नालियों का प्रबन्ध करने के लिए २३·४९ करोड़ रुपये की तजवीज़ की है। इसमें से १२·१२ करोड़ रुपया शहरी इलाकों में और ११·३७ करोड़ रुपया देहातों में ख़र्च किया जाएगा। भारत सरकार की योजना में स्थानीय संस्थाओं को विकास काम के लिए ३० करोड़ रुपये तक कर्ज़े देने का प्रबन्ध है। यह माना जा सकता है कि इसमें से १० करोड़ रुपया पानी का प्रबन्ध ठीकठाक करने के लिए है। लोग अपनी इच्छा से नक़द सहायता देकर या मेहनत करके इस काम को अधिक आगे बढ़ा सकते हैं।

प्रश्न—देश भर में मलेरिया की रोकथाम का प्रबंध किया गया है यह कैसे होगा ?

प्रश्न—इस कार्यक्रम के अनुसार देहातों में कीड़े मारने की

दवाएं छिड़की जाएंगी और मलेरिया को रोकने की दवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। मलेरिया की रोकथाम का काम करने वाली १२५ टीमें जगह-जगह जाकर यह काम करेंगी। इन टीमों का संगठन और उनकी देख-रेख राज्यों में स्वास्थ्य-सेवाओं के डायरेक्टरों के दफ़्तर करेंगे। केन्द्रीय सरकार सारे काम में तालमेल पैदा करेगी। योजना में डी. डी. टी. बनाने का दूसरा कारख़ाना बनाने का काम भी शामिल है जिससे कि कम कीमत पर काफ़ी मात्रा में डी. डी. टी. मिल सके। तीन साल के समय में इस कार्यक्रम पर १५ करोड़ रुपया ख़र्च होगा, जिसमें से ५ करोड़ रुपया राज्य देंगे और दस करोड़ रुपया भारत सरकार देगी जिसमें टैक्निकल कोआपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दी गई सहायता भी शामिल होगी।

प्रश्न—तपेदिक की रोकथाम कैसे की जाएगी ?

उत्तर—विश्व-स्वास्थ्य-संस्था और संयुक्त राष्ट्रसंघ के बाल-सहायता-विशेष-कोष की सहायता से देश भर में बी. सी. जी. के टीके लगाने का कार्यक्रम शुरू करने का विचार है। इससे १५-२० वर्षों में तपेदिक से मरनेवाले लोगों की संख्या पहले के मुकाबले $\frac{१}{५}$ हो जाएगी। इस समय इस बीमारी से कोई ५ लाख व्यक्ति हर साल मरते हैं। इसके अलावा बीमारों की संख्या घटने से बीमारी की रोकथाम के ख़र्चों, जैसे अस्पतालों में जगह की व्यवस्था आदि पर होनेवाले ख़र्च आदि में कमी की जा सकेगी। भारत सरकार और राज्य-सरकारों ने तपेदिक के अस्पताल, चिकित्सालय, और दवाखाने बनवाने; अस्पतालों में अधिक बीमारों को रखने और बी. सी. जी. के टीके लगानेवाली टीमों का काफ़ी प्रबन्ध किया है। सबसे पहले वे अस्पताल बनाए जाएंगे जिनमें बीमारी का पता चलाने, उसे रोकने और अच्छा

करने की व्यवस्था होगी। दिल्ली, पटना और त्रिवेन्द्रम् में नमूने के तीन केन्द्र खोले जा चुके हैं जहां इस सम्बन्ध में शिक्षा दी जाएगी और प्रदर्शन किए जाएंगे। उम्मीद है कि दूसरे केन्द्र भी खोले जाएंगे। सन् १९५०-५१ के मुकाबले योजना में सन् १९५५-५६ तक इस प्रकार बढ़ती होने की आशा है :—

	१९५१-५२		१९५५-५६	
	संस्थाएं	बीमारों के लिए जगहें	संस्थाएं	बीमारों के लिए जगहें
तपेदिक के अस्पताल	३७	४,१६१	४६	५,६८६
चिकित्सालय	४८	३,०७७	५०	४,८१४
दवाखाने	१२७	२,३२३	१८०	२,८६२
बी. सी. जी. टीमें	७३		१३७	

भारत सरकार और राज्य-सरकारों की योजनाओं पर कुल मिलाकर कोई ४·२१ करोड़ रुपया ख़र्च होगा।

प्रश्न—योजना में सीखे-सिखाए कर्मचारियों की कमी और अस्पतालों में रोगियों के लिए जगहों की कमी को दूर करने के लिए क्या कहा गया है?

उत्तर—डाक्टरी शिक्षा और ट्रेनिंङ्ग के लिए भारत सरकार ने कोई ६·५ करोड़ और राज्य-सरकारों ने कोई १४ करोड़ रुपये की तजवीज़ की है। भारत सरकार के कार्यक्रम में एक अखिल-भारतीय-डाक्टरी-संस्था बनाने का प्रबन्ध किया गया है जिसमें ऊंची खोज और ग्रेजुएट के स्तर से ऊपर की शिक्षा दी जाएगी। राज्यों के कार्यक्रमों में डाक्टरी के कई नए कालेज पूरे करने, डाक्टरी की मौजूदा स्कूलों और कालेजों को बढ़ाने, और नर्सों, दाइयों कम्पाउन्डरों आदि लोगों को काम सिखाने का प्रबन्ध किया

गया है। उम्मीद है इससे योजना के समय में हर साल अधिक संख्या में सीखे-सिखाए कर्मचारी तैयार हो सकेंगे।

सीखे- सिखाए कर्मचारियों की संख्या	१९५०-५१ में	१९५५-५६ तक	प्रतिशत बढ़ोतरी
डाक्टर	२,५०४	२,७८२	११·१
कम्पाउंडर	८९४	१,६२१	८१·३
नर्सें	२,२१२	३,०००	३५·६
दाइयां	१,४०७	१,९३२	३७·३
वैद्य और हकीम	९१४	१,११७	२२·२

जहां तक अस्पतालों और चिकित्सालयों का सम्बन्ध है, भारत सरकार और राज्य-सरकारों के कार्यक्रमों पर कोई २४·६ करोड़ रुपये ख़र्च होंगे। अस्पतालों और चिकित्सालयों और उनमें रोगियों के रहने की व्यवस्था में निम्नलिखित ढंग से बढ़ोतरी होगी :—

	१९५०-५१ में	१९५५-५६ तक	प्रतिशत बढ़ोतरी
अस्पतालों की संख्या	३,०१४	३,०९२	२·४
चिकित्सालयों की संख्या (शहरों में)	१,२५८	१८,६९५	२४·८
चिकित्सालयों की संख्या (गांवों में)	५,२२९	५,८४०	११·६
अस्पतालों में रोगियों की जगहें	१,०६,४७८	१,१७,२२२	१०·१
चिकित्सालयों में रोगियों की जगहें (शहरों में)	२,०१३	२,२३३	११·४
चिकित्सालयों में रोगियों की जगहें (गांवों में)	५,०६६	५,५८२	१०·२

प्रश्न—इलाज के देशी तरीकों को क्या बढ़ावा मिला है।

उत्तर—इलाज के देशी और दूसरे तरीकों की खोज करने के लिए ३७·५ लाख रुपये का प्रबन्ध किया गया है। भारत सरकार ने जामनगर में देशी-चिकित्सा के तरीकों की खोज करने के लिए एक केन्द्रीय संस्था बनाने की मंज़ूरी दी है। देशी-चिकित्सा के अनुसार इलाज करने की शिक्षा देने के बारे में भी काफ़ी विचार किया गया है। देशी इलाज के तरीकों की शिक्षा के लिए राज्यों ने ६५·२३ लाख रुपये और अस्पतालों, चिकित्सालयों और दूसरी योजनाओं के लिए १·०६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

भारत में काफ़ी जड़ी-बूटियां पाई जाती हैं और सरकार ने कुछ ऐसे क़दम उठाए हैं जिनसे इनका अच्छी तरह से इस्तेमाल हो सकेगा। भारतीय-कृषि-अनुसंधान-परिषद् ने एक समिति बनाई है जो महत्वपूर्ण जड़ी-बूटियों के पौधों को उगाने का काम उचित स्थानों पर करेगी। उत्तर प्रदेश और काश्मीर सरकारों ने भी इस ओर कुछ क़दम उठाए हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने लखनऊ में एक औषधि-गवेषणाशाला खोली है जो आम तौर पर इस्तेमाल की जानेवाली बहुत सी जड़ी-बूटियों आदि की जांच करेगी और उनकी चिकित्सा सम्बन्धी शक्ति, उनके सिद्धान्त और शुद्धता के बारे में खोज करेगी। भारत सरकार ने एक समिति बनाई है जो औषधियों के बारे में एक ग्रंथ तैयार करेगी जिसमें न सिर्फ़ नई दवाओं के बारे में ही, बल्कि दूसरी दवाओं और वनस्पति से तैयार होनेवाली सभी देशी दवाओं के बारे में लेख वगैरह होंगे।

प्रश्न—क्या योजना में ज़रूरी दवाओं की तैयारी को बढ़ावा दिया गया है ?

उत्तर—भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के बाल-सहायता-विशेष-कोष के साथ एक समझौता किया है जिसके अनुसार पैनीसिलीन और दूसरी कीटाणु-नाशक दवाएं तैयार करने का एक कारख़ाना खोला जाएगा। डी. डी. टी. तैयार करने के दो कारख़ाने खोलने का भी विचार है। इसमें से एक विश्व-स्वास्थ्य-संस्था और बाल-सहायता-विशेष-कोष की सहायता से और दूसरा मलेरिया की रोकथाम के लिए टैक्निकल-कोआपरेशन-ऐडमिनिस्ट्रेशन-कार्यक्रम के अधीन खोला जाएगा।

प्रश्न—बच्चों की पैदाइश में कमी करने की ज़रूरत क्यों है, और इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य-विभाग के कार्यक्रम की ख़ास-ख़ास बातें क्या हैं ?

उत्तर—देश के सीमित साधनों पर बढ़ती हुई आबादी के दबाव के कारण आबादी को बढ़ने से रोकने और परिवार-आयोजन की ज़रूरत मालूम हुई। डाक्टरी-जानकारी के विकास से मरने वालों की संख्या कम हो गई है जब कि पैदा होनेवालों की संख्या पहले जैसी ही बनी हुई है। इसका फल यह हुआ है कि आबादी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। हो सकता है कि लोगों का रहन-सहन ऊंचा हो जाने से बाल-बच्चे कम पैदा हों लेकिन आबादी के बराबर बढ़ते रहने से इस तरह के सुधार में रुकावट पड़ेगी। यह बात बिलकुल साफ़ है कि आबादी को बढ़ने से रोकने के लिए यह ज़रूरी है कि लोग परिवार की संख्या सीमित करने की आवश्यकता को समझें। माता के स्वास्थ्य और बच्चों के पालन-पोषण के लिए यह ज़रूरी है कि एक बच्चे के बाद

दूसरे बच्चे की पैदाइश के बीच कुछ साल निश्चित किए जाएं। इसलिए, उस उद्देश्य से जो कार्रवाई की जाएगी, वह सार्वजनिक स्वास्थ्य-कार्यक्रम का अंग होगी।

स्वास्थ्य-विभाग की योजना में नीचे दिए हुए कार्यक्रम के लिए ६५ लाख रुपये की तजवीज़ की गई है :—

(१) जो शादीशुदा लोग परिवार-आयोजन के तरीकों के बारे में सलाह लेना चाहें, उनके लिए सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य-केन्द्रों में इंतज़ाम किया जाए।

(२) परिवार-आयोजन के अलग-अलग तरीकों के बारे में तजुर्बे किए जाएं जिससे कि यह तय किया जा सके कि अलग-अलग स्थिति के लोगों के लिए क्या तरीके उचित, मान्य और कारगर होंगे।

(३) लोगों को परिवार-आयोजन के तरीके बताने के काम को आगे बढ़ाना।

(४) अलग-अलग वर्गों के लोगों से इस बारे में सूचना इकट्ठी करना कि उनकी प्रजनन-शक्ति का रूप क्या है और यह जानकारी प्राप्त करना कि परिवार के लोगों की संख्या सीमित करने के पीछे लोगों का क्या दृष्टिकोण है और वह क्यों ऐसा चाहते हैं।

(५) आर्थिक, सामाजिक और आबादी संबंधी परिवर्तनों में आपसी संबंध।

(६) परिवार-आयोजन के तरीकों के बारे में सूचना इकट्ठी करना और उसका अध्ययन करना और यह सूचना काम करनेवाले कार्यकर्त्ताओं तक पहुंचाना।

परिवार-आयोजन के तरीके भारत और विदेशों में किए गए तजुर्बों पर आधारित होने चाहिएं।

(७) स्त्रियों की प्रजनन-शक्ति और मर्दों की संतानोत्पत्ति-शक्ति (बच्चे पैदा करने की शक्ति) और उसके नियंत्रण के शारीरिक और डाक्टरी संबंधी पहलुओं की खोज।

शिक्षा

प्रश्न—योजना में शिक्षा पर किए जानेवाले ख़र्च की रक़म को किस हद तक बढ़ाने की तजवीज़ की गई है? इसके क्या नतीजे होंगे?

उत्तर—योजना में शिक्षा-विकास के काम पर ख़र्च की जाने वाली रक़म में काफ़ी बढ़ोत्तरी करने का सुझाव दिया गया है। स्थानीय संस्थाएं इस काम के लिए जो रक़म पाएँगी, उसके अलावा योजना में १५१·६६ करोड़ रुपये के ख़र्च की तजवीज़ की गई है जो औसतन ३०·३३ करोड़ रुपया सालाना आता है। सन् १९५०-५१ में, यानी योजना शुरू होने के साल में, शिक्षा पर ६३·१८ करोड़ रुपया ख़र्च किया गया जिसमें से १९·५५ करोड़ रुपया विकास के काम के लिए समझा जा सकता है। प्रतिवर्ष १९·५५ करोड़ से ३०·३३ करोड़ की वृद्धि का मतलब यह होता है कि कोई ५५ फ़ी सदी वृद्धि हुई। यह बात मान ली गई है कि यह समस्या बहुत बड़ी है और इसलिए ख़र्च की जो व्यवस्था अभी की गई है, वह बहुत कम है। लेकिन, उम्मीद की जाती है कि लोग नक़द रुपये और ज़मीन देकर, मेहनत करके और मकान आदि देकर सरकार के साधनों को पूरा करेंगे।

कमीशन का विश्वास है कि योजना के अन्त तक ये काम पूरे हो जाएंगे :—

(१) कम-से-कम ६ साल से लेकर ११ साल की उम्र के ६० फ़ी सदी बच्चों के लिए स्कूलों का प्रबन्ध करना जब कि सन् १९५०-५१ में ४४·५ फ़ी सदी बच्चों के लिए स्कूलों का प्रबन्ध था।

(२) सन् १९५०-५१ में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करनेवाले ११ साल से लेकर १७ साल की उम्र के ११ प्रतिशत लोगों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध था। ऐसे बच्चों की संख्या अब बढ़ाकर १५ प्रतिशत करनी है।

(३) सामाजिक-शिक्षा के क्षेत्र में १४ से लेकर ४० साल की उम्र के ३० फ़ी सदी लोगों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करना।

विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किए गए हैं क्योंकि यह समस्या संगठन की अधिक है, विस्तार की कम।

प्रश्न—पढ़ाई के आजकल के तरीके को भला-बुरा कहा जाता है। कमीशन ने इसमें क्या फेरबदल करने की सिफ़ारिश की है ?

उत्तर—आजकल की शिक्षा के तरीके की एक खास खराबी यह है कि शास्त्रीय ज्ञान और साहित्य पर ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर दिया गया है और उससे लोगों को न तो व्यावहारिक जानकारी ही होती है और न ही सूझ-बूझ का विकास हो पाता है। कमीशन ने इस सबब से यह सिफ़ारिश की है कि सभी प्राइमरी स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदल दिया जाए जहां बच्चे का विकास ऐसा काम सिखा कर किया जाएगा जिसकी समाज को

ज़रूरत है। शारीरिक-परिश्रम सभी तरह की शिक्षा का एक अंग बन जाएगा। कमीशन ने यह सिफ़ारिश भी की है कि बुनियादी शिक्षा के आधार पर एक "ग्राम विद्यालय" बनाया जाए जो विश्वविद्यालयों के स्तर पर शिक्षा के नए तरीकों पर तजुर्बे करे। योजना में "युवक कैम्पों" के लिए एक करोड़ रुपये की तजवीज़ की गई है। यह सुझाव दिया गया है कि १८ से २२ साल की उम्र के ऐसे विद्यार्थियों को छोड़ जिन्हें डाक्टरी कारणों से छूट दे दी गई हो, सभी विद्यार्थियों को ६ महीने से लेकर एक साल तक शारीरिक-परिश्रम करना चाहिए जिसका प्रबन्ध ठीक-ठीक होना चाहिए। शुरू-शुरू में ऐसे लोगों के छोटे-छोटे दलों को लेकर यह काम शुरू किया जाएगा जो अपनी इच्छा से मेहनत करना चाहेंगे।

प्रश्न—इस समय समाज के अलग-अलग वर्गों और अलग-अलग क्षेत्रों को शिक्षा के मामले में एक-से मौके नहीं मिल रहे हैं। योजना-कमीशन इस असमानता को कैसे दूर करेगा?

उत्तर—कमीशन ने सिफ़ारिश की है कि ख़र्च इस तरह किया जाए और केन्द्र से मिलनेवाली आर्थिक सहायता इस तरह काम में लाई जाए जिससे राज्यों के बीच भारी असमानता दूर होने लगे। कमीशन का अनुभव है कि पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के बारे में दूसरे इलाकों के मुकाबले देहाती इलाकों पर ध्यान कम दिया गया है और इसलिए उसने स्कूल से पहले की शिक्षा, बुनियादी और सामाजिक शिक्षा के बारे में देहाती इलाकों पर अधिक ध्यान दिया है। कमीशन ने सुझाव दिया है कि योजना के समय में कम-से-कम एक "ग्राम विद्यालय" खोला जाए जो देहाती इलाकों में ऊंची शिक्षा के बारे में तजुर्बे करे। कमीशन

ने यह सुझाव भी दिया है कि "ग्राम शिक्षक-केन्द्र" खोले जाएं जहां गांवों के कारीगरों को काम के अच्छे तरीके सीखने के अवसर मिल सकें। कमीशन ने पिछड़े हुए कबीलों और अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर खास ध्यान दिया है। कमीशन ने यह भी अनुभव किया है कि स्त्रियों की शिक्षा की तरफ़ भी, दूसरों के मुकाबले, लापरवाही दिखाई गई है। उसने सिफ़ारिश की है कि ठीक तरीके से प्रचार करके लोगों का यह ख़्याल बदला जाए कि प्राइमरी स्कूलों में लड़कों और लड़कियों का एक साथ पढ़ाना ठीक नहीं है क्योंकि आर्थिक दृष्टि से लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है। मिडिल और हाई स्कूलों में समाज की आजकल की हालत को देखते हुए लड़कों और लड़कियों का एक साथ पढ़ना सम्भव नहीं है। इसलिए लड़कियों के लिए अलग स्कूलों की व्यवस्था करने पर ज़ोर दिया गया है। यह सिफ़ारिश भी की गई है कि महिलाओं की ख़ास स्थिति होने के कारण उन्हें प्राइवेट तौर पर पढ़ाई करने के अवसर दिए जाएँ और उनके लिए प्राइवेट इम्तहान की व्यवस्था हो।

प्रश्न—बुनियादी शिक्षा के प्रति योजना-कमीशन का रवैया कैसा है, और वह इसे साधारण शिक्षा से कैसे सम्बन्धित करना चाहता है?

उत्तर—जहां तक प्राइमरी शिक्षा का सवाल है, योजना कमीशन ने बुनियादी शिक्षा के तरीके को स्वीकार कर लिया है और सिफ़ारिश की है कि जहां तक सम्भव हो नए प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए बढ़ावा न दिया जाए और साधनों को, बुनियादी शिक्षा पर और वर्तमान प्राइमरी स्कूलों को बुनियादी शिक्षा के ढंग पर लाने के लिए, लगाया जाए। जहां तक सेकण्डरी या

माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, योजना-कमीशन यह ठीक नहीं समझता कि वह वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के बारे में जांच करने के लिए हाल में ही बनाए गए कमीशन की सिफ़ारिशों के बारे में पहले से ही कुछ कहे। लेकिन, उसने यह राय ज़ाहिर की है कि माध्यमिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा के पास तक लाया जाए जिससे किसी बच्चे को, जो प्राइमरी से माध्यमिक स्कूल में जाए, यह महसूस न हो कि पाठ्य-क्रम में और पढ़ाई के तरीकों में भारी अन्तर है। कमीशन ने सिफ़ारिश की है कि विश्वविद्यालय के स्तर पर बुनियादी शिक्षा के ढंग पर परीक्षण किए जाएँ और इन्हें ग्राम विद्यालयों के नाम से पुकारा जाए। इन विद्यालयों की डिग्रियों का सरकारी नौकरी के लिए उतना ही महत्व होगा जितना कि साधारण विश्वविद्यालयों की डिग्रियों का।

प्रश्न—योजना में अध्यापकों के वेतन की दर और उनकी सेवा की शर्तों में सुधार करने के लिए क्या कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया है?

उत्तर—देश की शिक्षा संस्थाओं में अच्छी तरह की पढ़ाई न होने का एक बड़ा कारण यह है कि अध्यापकों को कम वेतन दिया जाता है और उनके काम की शर्तें असन्तोषजनक हैं। कमीशन ने इस कारण ज़ोरदार शब्दों में यह सिफ़ारिश की है कि राज्यों की सरकारें अपने साधनों का ध्यान रखते हुए अध्यापकों के वेतन की दरें इस प्रकार बढ़ाएं जिससे वे दूसरे लोगों के वेतन से मेल खा सकें और जहां कहीं भी सम्भव हो, शिक्षकों के लिए मुफ़्त मकान, और उनके बच्चों की मुफ़्त शिक्षा जैसी रियायतें दी जाएँ। यह कोशिश की जानी चाहिए कि गांवों के स्कूलों में हरेक अध्यापक को कुछ ज़मीन दी जाए जहां वह और उसका परिवार, शाक-भाजी वगैरह उगा सके। उन्हें इस बात की भी

इज़ाजत होनी चाहिए कि वे छुट्टियों के दिनों में निचले दर्जों के अध्यापकों को फिर से काम की जानकारी दिलाकर; काम करनेवाले बालकों के लिए शाम की क्लासों का प्रबन्ध करके और सामाजिक शिक्षा का काम करके, अपनी आमदनी बढ़ा सकें।

प्रश्न—सामाजिक शिक्षा का मतलब क्या है ? योजना-कमीशन उसे क्या महत्व देता है ?

उत्तर—बालिग़-शिक्षा का मतलब अगर लोगों को पढ़ाना-लिखाना ही है तो यह बहुत ही सीमित है और इसे बढ़ाने की ज़रूरत है जिससे कि बालिग़ों को स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा दी जा सके और वे अपने फ़ालतू समय का सदुपयोग कर सकें। साथ ही वे नागरिक के कर्तव्यों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर लें। सामाजिक शिक्षा में ये सभी बातें आ जाती हैं। इसका मतलब मिलजुल कर काम करके समाज को ऊंचा उठाना है। कमीशन ने सामाजिक शिक्षा पर बड़ा ज़ोर दिया है और योजना में इस काम के लिए योजना के समय में १५ करोड़ रुपया ख़र्च करने की तजवीज़ की गई है। यह रक़म शिक्षा-योजना में निश्चित की गई कुल रक़म का दस फ़ी सदी है।

पिछड़ी हुई जातियों की भलाई

प्रश्न—क्या योजना में पिछड़ी हुई जातियों की हालत सुधारने की तजवीज़ की गई है ?

उत्तर—हां, योजना में इसके बारे में एक अलग अध्याय (३७वां) है। योजना के समय में पिछड़ी हुई जातियों की हालत सुधारने के काम पर ४१ करोड़ रुपया ख़र्च करने की तजवीज़ की गई है।

प्रश्न—पिछड़ी हुई जातियों के अलग-अलग लोगों की ख़ास-ख़ास ज़रूरतें क्या हैं, जिनको पूरा करने की आवश्यकता है ?

उत्तर—पिछड़ी हुई जातियों के सुधार के कार्यक्रमों की ख़ास बात यह है कि शिक्षा का विकास किया जाए। कुछ रियायतें देकर यह कोशिश की जा रही है कि पिछड़े हुए वर्गों के अधिक-से-अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा और ट्रेनिंग की सहूलियतें मिलें। ये रियायतें इस प्रकार हैं—मुफ़्त प्राइमरी शिक्षा, वज़ीफ़े देना, किताबों की व्यवस्था करना, परीक्षा की फ़ीस की व्यवस्था करना और व्यावसायिक और टैक्निकल शिक्षा के लिए

वज़ीफ़े देना। इसका उद्देश्य यह है कि पिछड़े वर्ग के किसी योग्य विधार्थी को रुपये-पैसे या दूसरे साधनों की कमी के कारण शिक्षा पाने के रास्ते में रुकावटों का सामना न करना पड़े।

इन लोगों को रोज़गार शुरू करने के लिए कर्ज़ और आर्थिक सहायता देने की भी व्यवस्था की गई है। इन्हें कई तरह की रियायतें दी गई हैं जिससे ये लोग दूसरी जातियों और वर्गों के विद्यार्थियों से होड़ किए बिना ही नौकरियां प्राप्त कर सकें।

अनुसूचित कबीलों के सम्बन्ध में आदिवासी इलाक़ों में सड़कों के विकास पर ख़ास ध्यान दिया गया है और डाक्टरी सहायता की तजवीज़ की गई है।

यूनाइटेड प्रेस, दिल्ली-८